www.kewalsachtimes.com

जुलाई 2025

₹ 10

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PS.-78

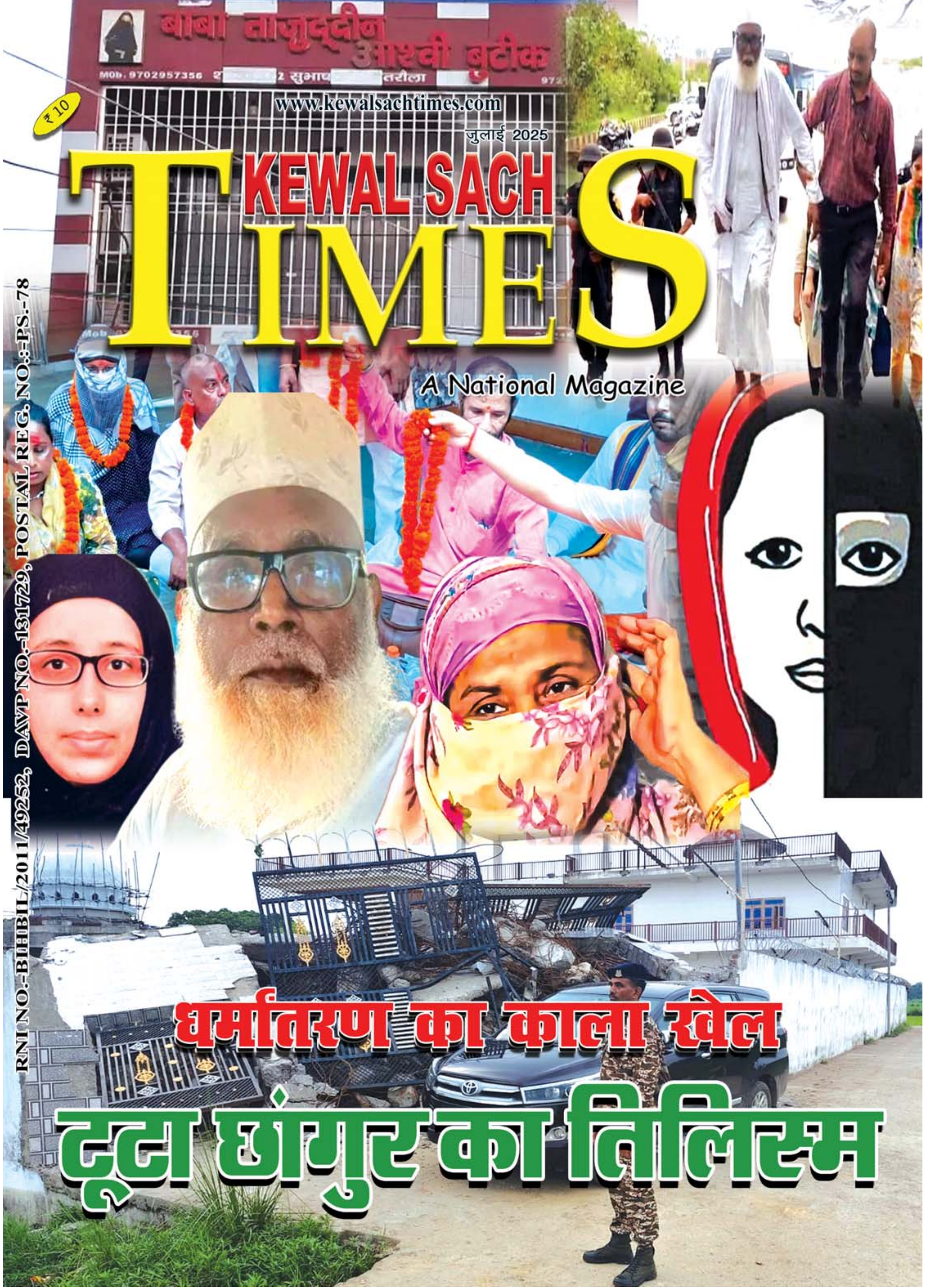

धर्मांतरण का काला खेल

टूटा छांगुर का तिलिस्म

जन-जन की आवाज है केवल सच

निर्भीक हमारी पहचान
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalsachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news
Kewalsach news
खबर वहीं, जो केवल सच हो

केवल सच TIMES

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM UPI
G Pay paytm

www.kewalsach.com www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

एम. वेंकैया नायडू
01 जुलाई 1949

अखिलेश यादव
01 जुलाई 1973

हरभजन सिंह
03 जुलाई 1980

स्व० रामविलास पासवान
05 जुलाई 1946

एम.एस. धोनी
07 जुलाई 1981

कैलास खेर
07 जुलाई 1973

सौरभ गांगुली
08 जुलाई 1972

सुखबीर सिंह बादल
9 जुलाई 1962

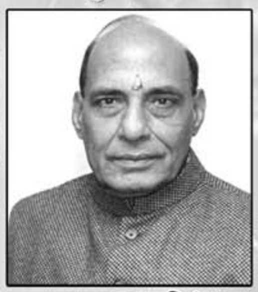

राजनाथ सिंह
10 जुलाई 1951

सुनिल गवास्कर
10 जुलाई 1949

रवि किशन
17 जुलाई 1971

प्रियंका चोपड़ा
18 जुलाई 1982

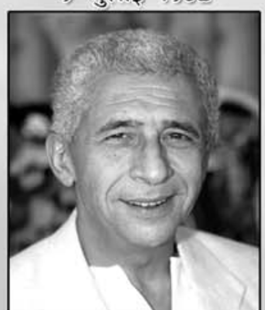

नसरूद्दीन शाह
20 जुलाई 1950

मल्लिकार्जुन खड़गे
21 जुलाई 1942

स्व० अनंत कुमार
22 जुलाई 1959

हिमेश रेशमिया
23 जुलाई 1973

पंकज आडवाणी
24 जुलाई 1985

उद्धव ठाकरे
27 जुलाई 1960

संजय दत्त
29 जुलाई 1959

सोनू निगम
30 जुलाई 1973

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
COLOUR	Cover Page	3,00,000/-	N/A
	Back Page	1,00,000/-	65,000/-
	Back Inside	90,000/-	50,000/-
	Back Inner	80,000/-	50,000/-
	Middle	1,40,000/-	N/A
	Front Inside	90,000/-	50,000/-
	Front Inner	80,000/-	50,000/-
B & W	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
	Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

संकट में हैं
बिहारी व्यापारी

बढ़ते अपराध की वजह से बिहार में उद्योग का जाल नहीं बिछ पाया बल्कि बिहारी व्यापारी धीरे-धीरे प्रदेश से पलायन करते जा रहे हैं। बिहार के व्यापारी असुरक्षित वातावरण में कारोबार करने को मजबूर हैं ऐसा ही उनका मानना है। बिहार में व्यापार किसको कहते हैं? बिहार में व्यापारी कौन है? बिहार में व्यापार का दायरा क्या है? बिहार में व्यापार नीति क्या है? सरकार व्यापारियों के संरक्षण के लिए क्या कर रहा है? सरकार के तमाम कोशिशों के बाद भी बिहार में उनका जाल क्यों नहीं बिछ रहा है जैसे सड़कों एवं पुल - पुलिया का जाल बिछ रहा है? 15 साल लालू यादव का जंगलराज हो या 20 साल नीतीश कुमार का भ्रष्टराज बिहार में व्यापार के नये द्वार क्यों नहीं खुल सके इसको लेकर बिहार के व्यापारियों में रोष व्याप्त है। फूटपाथ से लेकर मॉल तक, बिस्कुट की फैक्ट्री से लेकर सिमेंट उद्योग तक के व्यापारी को सरकार से तब ही सहायता मिलता है जिनका जुगाड़ मजबूत हो अन्यथा किसी को 01 रूपये वर्गफीट के हिसाब से औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आंवटन कर दिया जाता है तो दूसरी तरफ जिनकी पहुंच और जुगाड़ नहीं है उसको MSME से भी कोई मदद नहीं मिलता है। जिस प्रकार सरकार MSME का निबंधन कराने एवं GST वसूली में सक्रिय है अगर व्यापारियों की समस्या को सुनकर योजनाबद्ध तरीके से काम करती तो बिहार के मजदूर के साथ छोटे व्यापारी को पलायन से रोका जा सकता है अन्यथा संकट आने पर लोग अपना आशियाना बदलने से परहेज नहीं करते।

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

एक दौर था जब बिहार व्यापार का केन्द्र था तथा कल-कारखाने से पूरी तरह से लैश था। बिहार प्रदेश में चीनी मिल और सूत मिल के साथ-साथ डालमियां जैसा बड़ा उद्योग का जाल था लेकिन धीरे-धीरे करके उद्योग बंद होने लगे और बिहार के उद्योगपति हों या मजदूर पलायन करके दूसरे राज्यों में अपना व्यापार एवं मजदूरी करने लगे। 1980 के बाद से बिहार के व्यापारी राजनीति एवं सरकारी कूटनीति के साथ-साथ असुरक्षित माहौल ने व्यापारियों को बिहार छोड़ने पर विवश होना पड़ा। 1990 से 2005 तक की सरकार में बिहार से व्यापार ठप होने लगे और बिहार में कारोबार करना तो दूर यहां से भागने लगे। 2005 से लेकर 2025 की सरकार ने उद्योग का जाल बिछाने का प्रयास किया लेकिन जिस तीव्रता से सड़को का जाल बिछा, पुल-पुलिया ने गाड़ियों की रफ्तार दी उसका 10 प्रतिशत भी उद्योग नहीं लग सके और व्यापार के मामले में बिहार आज भी अन्य प्रदेशों के मुकाबले पीछे रह गया। मखाना उद्योग, लीची एवं केला का बड़ा व्यापारी आज भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जोखिम नहीं ले रहा है। बिहार के सभी 38 जिलों में अपने-अपने उत्पाद का व्यापार कर सकता है लेकिन अफसरशाही और बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े मॉल तक online व्यापार को महत्व देने लगे जिसके वजह से बिहारी व्यापारी घोर संकट के दौर से गुजर रहे हैं। केन्द्र एवं राज्य की सरकार कई महत्वकांक्षी योजना देकर व्यापार की गति देना चाहते हैं लेकिन बैंक की ढूलमूल नीति की वजह से छोटे व्यापारियों को वह मदद नहीं मिलता और मिलता भी है तो लोन का मोटा कमीशन भेंट स्वरूप देना पड़ता है जिसकी वजह से व्यापारी कारोबार करने के पहले ही खुद को असुरक्षित महसूस करने लगता है। स्थानीय रंगदारी, पुलिस की दादागिरी, GST की मार, बढ़ती महंगाई के कारण छोटे व्यापारी तो अपना व्यापार छोड़ किसी बड़े व्यापारी के यहां नौकरी करने को मजबूर हो चुका है। जब भी किसी देश में संकट का साया मंडराता है, सबसे पहले आम जनता पर इसका असर पड़ता है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि संकट के दौर में महंगाई, कालाबाजारी और जमाखोरी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। सरकार द्वारा जारी सख्त निर्देशों के बावजूद, जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। आमतौर पर, प्रशासनिक अधिकारी इन्हें गंभीरता से नहीं लेते या फिर स्थानीय व्यापारियों और नेताओं के दबाव में आंखें मूंद लेते हैं। यह एक खुला राज है कि कालाबाजारी करने वाले अक्सर राजनीतिक संरक्षण में फलते-फूलते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ आदेश जारी कर देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या प्रशासनिक मशीनरी अपने काम में पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करेगी या फिर यह भी केवल फाइलों में बंद होकर रह जाएगा? जब जब जमाखोरी बढ़ती है, तो इसका सबसे बुरा असर आम जनता पर पड़ता है। महंगाई आसमान छूने लगती है, जरूरी वस्तुएं बाजार से गायब हो जाती हैं, और लोगों को मजबूरी में अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। सरकारें राहत पैकेज और सस्ते राशन की योजनाएं तो बनाती हैं, लेकिन उनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचना अक्सर एक चुनौती बन जाता है। इसके पीछे केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर जागरूकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को इसका सबसे अधिक खामियाजा उठाना पड़ता है। बिहार वास्तव में व्यापार के क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित रख सकता है और उसको बढ़ावा मिल सकता है अगर अपने प्रमुख उत्पाद जिनका बिहार में व्यापार नियमित रूप से होता है उसको करते रहे। गेहूं, चावल, मक्का, बेबीकॉर्न, लीची (खासकर मुजफ्फरपुर की), आम (भागलपुरी जर्दालु आम), खरबूजा, तरबूज,मगही पान, मिथिला मखाना, चीनी, दूध, दवाएँ, वस्त्र और रेशम, जूट, चमड़ा उद्योग, बरौनी में पेट्रोकेमिकल उद्योग, पायराइट, बॉक्साइट, अभ्रक, नमक, तांबा, और लौह अयस्क, कांच, बेकरी उत्पाद, और पल्प निर्माण, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की ग्रास उत्पाद, मंजूषा कला, सुजनी कढ़ाई जिसमें कुछ उत्पादों को विशिष्ट भौगोलिक पहचान (जीआई टैग) मिली है, जिससे उनकी मांग और व्यापार बढ़ता है। में तंबाकू का अत्यधिक उत्पादन होता है। इस उद्योग का विकास बेगुसराय, जमुई, बिहार शरीफ, आरा, बक्सर, दरभंगा आदि जिलों में हुआ है। बिहार में तंबाकू उद्योग में मुख्य रूप से बीड़ी का उत्पादन होता है. बीड़ी उद्योग के लिए तेंदू के पत्ते झारखंड से प्राप्त किए जाते हैं. बिहार में मुंगेर, पटना, लखीसराय, जमुई, बिहार शरीफ, मानपुर, आरा, बक्सर, महानार, शाहपुर, अयोध्या गंज आदि बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र है। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से हथकरघा उद्योग के रूप में स्थापित है जिसका प्रमुख केंद्र भागलपुर और गया है बिहार के गया जिले में स्थित मानपुर क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जहां मुख्यत: चादर, गमछा, धोती, साड़ी आदि का उत्पादन होता है यहां लगभग 1000 पावर लूम स्थापित है। बिहार में सीमेंट उद्योग का विकास कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित रोहतास जिले के बंजारी एवं डालमियानगर में हुआ है। इस क्षेत्र में चूना पत्थर का अनुमानित भंडार लगभग 289 मिलियन टन है। बिहार में व्यापारी अगर संकट के दौर से गुजर रहे हैं तो इसमें सरकार एवं अधिकारी जिम्मेवार है और राजनेताओं को उसी व्यापार से प्रेम है जिनसे वह सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। बड़े व्यापारी जुगाड़ के तहत काम कर रहे हैं लेकिन छोटे व्यापारी को सहयोग नहीं मिलेगा तो यह संकट बरकरार रहेगा। अब यह देखना होगा सरकार इस दिशा में क्या कर रही है।

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

वर्ष:- 15, अंक:- 169 माह:- जुलाई 2025 रू. 10/-

Editor

Brajesh Mishra 9431073769
6206889040
8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Principal Editor

Arun Kumar Banka	7782053204
Nilendu Kumar Jha	9431810505

General Manager (H.R)

Triloki Nath Prasad	9308815605

General Manager (Advertisement)

Manish Kamaliya	6202340243
Poonam Jaiswal	9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor

Amit Kumar	9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor

Amitabh Ranjan Mishra	8873004350
S. N. Giri	9308454485

Asst. Editor

Mithilesh Kumar	9934021022
Sashi Ranjan Singh	9431253179
Rajeev Kumar Shukla	7488290565

Sub. Editor

Arbind Mishra	6204617413
Prasun Pusakar	9430826922

Bureau Chief

Sanket kumar Jha	7762089203

Bureau

Sridhar Pandey	9852168763
Sonu Kumar	8002647553

Photographer

Mukesh Kumar	9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 9868700991

झारखण्ड हेड

ब्रजेश मिश्र (2) 7979769647
7654122344

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 9433567880
9339740757

मध्यप्रदेश हेड

अभिषेक पाठक 8109932505
8269322711

छत्तीसगढ़ हेड

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश हेड

निर्भय कुमार मिश्रा 9452127278

उत्तराखण्ड हेड

आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड

आवश्यकता है

गुजरात हेड

आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

पंजाब हेड

आवश्यकता है

हरियाणा हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

उड़ीसा हेड

आवश्यकता है

आसाम हेड

आवश्यकता है

हिमाचल हेड

आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू दिल्ली-110052
मो०- 9868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 9433567880, 9339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय तल,
फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 9308815605

मध्यप्रदेश कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार पाठक
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
मो०- 8109932505,

विशेष प्रतिनिधी

भारती मिश्र 8521308428
बेंकटेश कुमार 8210023343
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14,

मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

हमारा ई-मेल

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

जून 2025

मर्यादा

मिश्रा जी,

केवल सच टाइम्स पत्रिका का नियमित पाठक हूँ और आपका संपादकीय को अवश्य पढ़ता हूं क्योंकि आप निर्भिक होकर अपनी बात को मजबूती से लिखते हैं. जून 2025 अंक में **शब्दों की टूटती मर्यादा** संपादकीय में आपने वर्तमान समय में घट रही घटनाओं पर ज्वलंत मुद्दों पर लोगों के बड़े बोल पर सटीक प्रहार करते अपनी बात को दमदार ढंग से पाठकों के बीच रखा है जो काबिले तारीफ है. देश के प्रधानमंत्री के प्रति किस प्रकार का भाव है तथा भारतीय सेना पर भी उंगली उठाना आम बात हो गई है जैसी खबरें दिल को झकझोर देती है. आपका आलेख मुझे बहुत सही लगता है.

● **सुमित रंजन पाण्डेय, शास्त्री कॉलोनी, जहानाबाद**

स्तंभ

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स पत्रिका पक्ष एवं विपक्ष में बिना भेदभाव के खबरों को पाठकों के बीच लाता है. संपादकीय, कानूनी सलाह की तरह योग, स्वास्थ्य, सौंदर्य, कृषि के साथ छात्रों के लिए प्रतियोगी विषयों को भी प्राथमिकता से प्रकाशित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिलती रहे. पिता भगवान है जैसी खबरें समाज में सकारात्मक संदेश देने में कामयाब होगा. पत्रकारिता का मतलब सिर्फ खबर देना ही नहीं होना चाहिए बल्कि वह खबर राष्ट्र एवं समाज हित में कारगर होना चाहिए. स्थायी स्तंभ होने से पाठकों को बहुत सारी उपयोगी जानकारी मिल जाती है.

● **मुकेश यादव, करमटोली चौक, राँची**

पिता

मिश्रा जी,

''**भगवान का दूसरा रूप होता है पिता**'', शीर्षक ही लोगों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींचता है. अमित कुमार ने अपनी जून अंक 2025 अंक में उपयोगी एवं पठनीय के साथ संग्रहणीय खबर को समाज के बीच रखा है जो मुझे काफी सही लगा. पूरे विस्तार से खबर में पिता की जीवन में क्या भूमिका होती है और उसके कार्य को बिंदुवार पंक्तिबद्ध करना काबिले तारीफ है. अपने माता पिता के प्रति समर्पित बेटा बेटी अगर सही मार्ग पर चलते हैं तो अभिभावकों का जीवन स्वर्ग बन जाता है. केवल सच टाइम्स पत्रिका सामाजिक मुद्दों को गंभीरता से लिखता हैं. समाज को दशा एवं दिशा देने वाली इस खबर की जितनी तारिफ किया जाये कम ही है.

● **अजित दुबे, बाबू बाजार, कोलकात्ता, पं.बं.**

कानूनी सलाह

संपादक महोदय,

जून 2025 अंक में अधिवक्ता शिवानंद गिरी की कानूनी सलाह में सटीक जानकारी दी है. मैं आपका प्रतिमाह का कानूनी सलाह को अवश्य पढ़ता हूं और मित्रों को भी जानकारी देता हूं. क्या दो नपुंसकों या दो पुरुषों या स्त्रियों के बीच किया गया विवाह वैध होता है पर बहुत ही उपयोगी जानकारी दी है जो मुझे काफी उचित लगा. सभी प्रश्न और उत्तर काफी जानकारीप्रद हैं और ऐसे आलेख से लोगों में जागरूकता आती है. मैं संपादकीय और कानूनी सलाह को अवश्य करके पढ़ता हूं. किसी केश के फैसले पर भी समीक्षात्मक खबर को भी स्थान देना चाहिए.

● **त्रिलोकी नाथ प्रसाद, परसा बाजार, पटना**

दुर्घटनाग्रस्त

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स पत्रिका के जून 2025 अंक में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी का भी निधन हो गया की खबर आंखों में आंसू ला देता है। एक बार उनसे मिला था, जिसकी वजह से उनके अच्छे व्यवहार बार बार याद आता है. कोई इस दुर्घटनाग्रस्त हादसे को राजनीति से जोड़कर देखता है और मौत के भयंकर मंजर पर भी व्यंग्य करता है तो ऐसा लगता है कि देश गृहयुद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है. बहुत ही दु:ख देने वाली है यह खबर है पर पत्रकार को खबर लिखना ही है. केवल सच टाइम्स पत्रिका अगर रंगीन पृष्ठों में प्रकाशित होने लगे तो इसके पाठक और भी बढ़ेंगे।

● **दिनेश कुमार कुशवाहा, टावर चौक, कटिहार**

रघुवंशी

ब्रजेश जी,

मैं आपकी पत्रिका को प्रति महीने वेबसाइट पर पढ़ता हूं. राष्ट्रीय स्तर की खबरों के साथ साथ उन गंभीर विषयों को पूरी प्राथमिकता से लिखता है जो पाठकों को पूरी जानकारी मिलता रहे. जून 2025 महीने में प्यार के नाम पर शादी और इसके बाद पति की जघन्य हत्या की पूरी कहानी को पूर्ण विस्तार से केवल सच टाइम्स पत्रिका ने **सोनम रघुवंशी की हेट स्टोरी** को लिखा है. शादी, हनीमून, हत्या और प्यार की जुनून में लिपटी यह खबर दिल की धड़कन को बढ़ा देता है. अब कैसे कोई किसी पर विश्वास करे, चिंता का विषय बन गया है. इस प्रकार की दमदार खबरों की वजह से केवल सच टाइम्स पत्रिका का प्रभाव काफी बढ़ता है।

● **संजय लाल, राजा बाजार, पाया नं.-74, पटना**

अन्दर के पन्नों में

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक **''मगध इंटरनेशनल स्कूल''** टेकारी

'' केवल सच '' पत्रिका **एवं '' केवल सच टाइम्स ''**

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

एक नजर

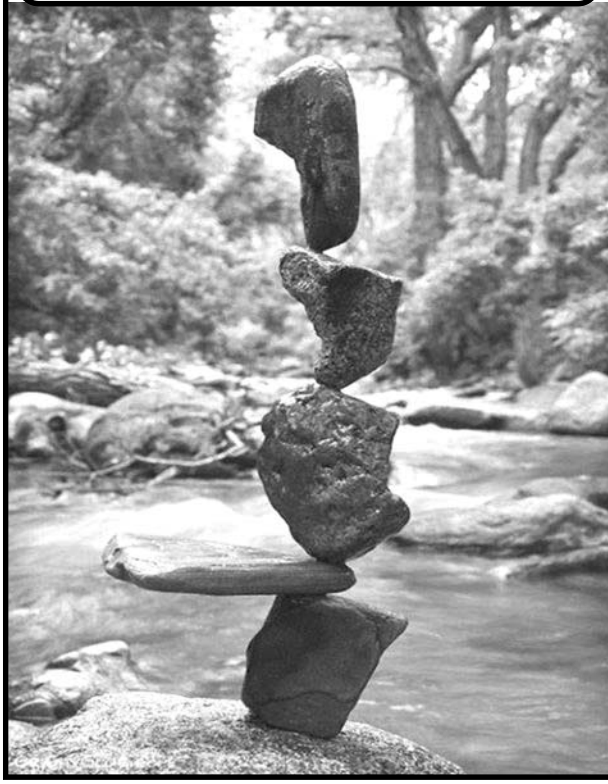

संपादकीय व प्रधान कार्यालयः-

- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
  e-mail:- kewalsach@gmail.com,
  editor.kstimes@rediffmail.com
  kewalsach_times@rediffmail.com
- स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**
- पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
- सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
- आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
- किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- सभी पद अवैतनिक हैं।
- विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
- फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
- कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
- **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
- भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।
- A/C No. :- 20001817444
  BANK :- State Bank Of India
  IFSC Code :- SBIN0003564
  PAN No. :- AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of
"APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed
Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
Registered Under the Indian Society Act 21, 1880
East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020
Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077
E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com
Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63
APNA GHAR
Now in the State of Bihar & Jharkhand
Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your
Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence
in the lives of many Sr. Citizens.
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
A/C No. - 0600010202404
Bank Name - United Bank of India
IFSC Code - UTBIOKKB463
Pan No. - AAAAK9339D

धर्मांतरण का काला खेल
टूटा छांगुर का तिलिस्म

● **अमित कुमार**

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा एसटीएफ के शिकंजे में है। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब पीड़ित महिलाएं उसके खिलाफ खुलकर सामने आ गई हैं। राजधानी लखनऊ में कुछ लड़कियों ने छांगुर की हकीकत मीडिया के सामने रखी। पीड़िताओं ने पुलिस पर भी सनसनीखेज आरोप लगाए। इन महिलाओं का आरोप था कि छांगुर 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण करा चुका है। इसके लव जिहादियों की बड़ी फौज है। यह भी पता चला है कि उसके माफिया अतीक अहमद से भी संबंध रहे हैं। औरेया की रहने वाली एक पीड़ित

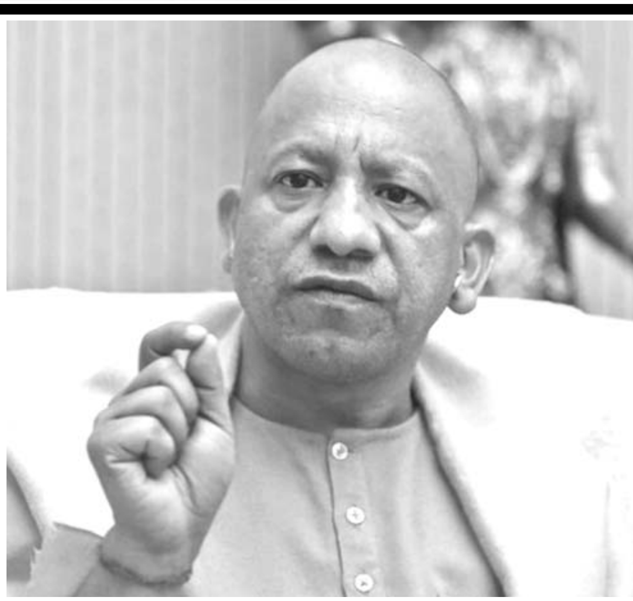

लड़की ने मीडिया के सामने छांगुर के सिंडिकेट की पोल खोलते हुए बताया छांगुर के गिरोह ने 5 हजार से ज्यादा अवैध धर्मांतरण कराए है। छांगुर इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है। पीड़िता ने बताया कि उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे मम्मी-पापा को साजिश करके जेल भेज दिया गया। लड़की ने बताया कि आरोपी के मोबाइल में उसके गंदे वीडियो हैं। आरोपी फतेहपुर का रहने वाला है। वह मेरी मां से 2019 में मिला था। उसने मेरे पापा की शराब छुड़ाने का वादा किया था। लड़की ने बताया कि आरोपी की बहन भी मेरे घर आती थी। आरोपी का नाम मेराज अंसारी है। फतेहपुर मस्जिद में उसके साथ मेरे जबरन निकाह कराया गया, तब मुझे उसके असली नाम का पता चला। धर्म बदलकर मेरा नाम जैनब रख दिया था। उसने बताया कि छांगुर बाबा भारत को इस्लामिक देश बनाने की बात कहता था। दरअसल, ये लड़कियां विश्व हिन्दू रक्षा परिषद के गोपाल दास के साथ मीडिया के

जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा

नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन

छांगुर बाबा का बेटा महबूब

नसरीन का पति नवीन

सामने आई थीं। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्य से अपील की कि हमें बचा लो। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि धर्मांतरण गिरोह के मुख्य षड्यंत्रकारी जलालुद्दीन की गतिविधियां न केवल समाज विरोधी हैं, बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। धर्मांतरण गिरोह के मुख्य षड्यंत्रकारी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद, आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, "हमारी सरकार बहन-बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं, बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं।'' उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी, जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। वही एक अन्य महिला ने आरोप लगाया कि छांगुर इस गैंग का सरगना है। बहुत लंबे समय से इसका खेल चल रहा है। पूरे देश में इसके एजेंट फैले हुए हैं। इसका पूरा परिवार इस साजिश में लगा हुआ है। सऊदी अरब में इसके 500 एजेंट हैं। नेपाल के जरिए इसे 300 करोड़ की फंडिंग पाकिस्तान, तुर्किए, सऊदी अरब आदि देशों से मिली है। महिला ने पुलिस पर भी सनसनीखेज आरोप लगाए। नेपाल में छांगुर नेटवर्क के 100 से ज्यादा बैंक खाते हैं। उसने कहा कि 2021 में मेरे साथ दुष्कर्म किया गया। मेरे साथ मारपीट की गई। मेरा चेहरा खराब कर दिया गया। पुलिस ने मेरी शिकायत दर्ज नहीं की।

बताते चले कि छांगुर का असली नाम जलालुद्दीन है। वह शुरुआती दिनों में गांव-गांव घूमकर नकली गहने और नग बेचा करता था। 2011 में उसकी पत्नी कुतबुनिशा के ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने के बाद उनका सामाजिक रसूख बढ़ने लगा। उसने अपनी लोकप्रियता को 'पीर बाबा' की छवि बनाने में इस्तेमाल किया और गांव में एक दरगाह भी बनवाई। लोग उसे 'छांगुर बाबा' कहकर बुलाने लगे। आरोप है कि छांगुर ने इस प्रभाव का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण का एक बड़ा नेटवर्क चलाने के लिए किया। इस रैकेट में भोली-भाली गरीब हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर या आर्थिक मदद का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। ज्ञात हो कि भारत में धर्म परिवर्तन एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, खासकर जब इसमें बहलाने-फुसलाने, धोखाधड़ी या जबरदस्ती का आरोप लगता है। छांगुर बाबा जैसे मामलों में आए दिन हो रहे नए खुलासे ने इस विषय को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि बहला-फुसलाकर किसी का धर्म परिवर्तन कराने पर भारतीय कानून के तहत क्या सजा मिलती है और भारतीय न्याय संहिता में इसके क्या प्रावधान हैं। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है, जो किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। हालांकि, इसमें जबरन

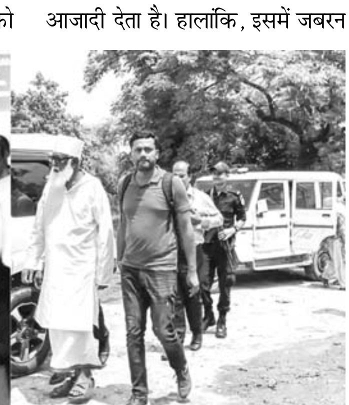

या धोखाधड़ी से धर्मांतरण शामिल नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कोई केंद्रीय कानून नहीं है, लेकिन कई राज्यों ने अपने-अपने 'धर्म स्वतंत्रता अधिनियम' बनाए हैं ताकि ऐसे कृत्यों पर रोक लगाई जा सके। इन कानूनों में बहला- फुसलाकर, धोखाधड़ी से, बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने पर सजा का प्रावधान है। कुछ प्रमुख राज्यों के कानून और सजा इस प्रकार हैं :-

1. उत्तर प्रदेश :- उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 (जो 2021 के कानून का संशोधित रूप है) देश के सबसे सख्त कानूनों में से एक है। बहला-फुसलाकर या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 3 से 10 साल तक की जेल और 25,000 रूपये का जुर्माना। नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने पर 5 से 14 साल तक की सख्त सजा और 1 लाख रूपये का जुर्माना। वही सामूहिक अवैध धर्मांतरण कराने पर 7 से 14 साल तक की जेल और अधिकतम 1 लाख रूपये का जुर्माना। साथ ही विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण पर 14 वर्ष तक का कारावास।

2. मध्य प्रदेश :- मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत धोखाधड़ी या बहला-फुसलाकर धर्मांतरण कराने पर अधिकतम 10 साल की कैद और 1 लाख रूपये तक का जुर्माना है। हाल ही में, मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान करने की भी बात कही है, जिससे यह और भी सख्त हो जाएगा।

3. हरियाणा :- 'हरियाणा धर्म परिवर्तन गैर-कानून रोकथाम 2022' के तहत लालच देकर, डरा-धमकाकर, धोखाधड़ी से या झूठ बोलकर धर्मांतरण करवाने पर 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है, साथ ही पीड़ित को भरण-पोषण भी देना होगा।

4. ओडिशा :- ओडिशा धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 1967 देश का सबसे पुराना धर्मांतरण विरोधी कानून है। इसमें जबरन धर्मांतरण कराने पर एक साल तक की जेल और 5,000 रूपये तक का जुर्माना है। यदि पीड़ित नाबालिग है, तो सजा बढ़ जाती है।

भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय दंड संहिता की जगह ले रही है, में सीधे तौर पर धर्मांतरण शब्द का उल्लेख कर सजा का प्रावधान नहीं है, जैसा कि राज्य-स्तरीय कानूनों में है। हालांकि, BNS के अध्याय XVI में धर्म से संबंधित अपराधों के प्रावधान हैं। वही BNS की धारा 298 में यह जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से किए गए कृत्यों से संबंधित है, जिसमें शब्द, संकेत या दृश्य प्रतिनिधित्व शामिल हो सकते हैं। वही BNS की धारा 302 में यह धार्मिक सभा में व्यवधान उत्पन्न करने से संबंधित है। ये धाराएं सीधे तौर पर बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन को परिभाषित नहीं करती हैं, लेकिन धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी या अन्य संबंधित अपराधों के लिए BNS की अन्य धाराओं का उपयोग किया जा सकता है, जो धर्मांतरण के मामलों में भी लागू हो सकती हैं। हालांकि, बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के विशिष्ट अपराध और

उसकी सजा के लिए मुख्य रूप से संबंधित राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानूनों का ही सहारा लिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक कानून का अभाव है, लेकिन कई राज्यों ने इस पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बनाए हैं, जिनमें लंबी जेल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इन कानूनों का उद्देश्य व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना और किसी भी प्रकार के अनुचित धर्मांतरण को रोकना है, ताकि देश की धार्मिक विविधता और सद्भाव बना रहे। धार्मिक आबादी के हिसाब से बाजार बनता-बिगड़ता है। किसी विशेष धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ने से उस धर्म से संबंधित उत्पादों, सेवाओं और रीति-रिवाजों यहां तक की धार्मिक यात्राओं और पर्यटन का बाजार भी बढ़ता है। वही बड़ी धार्मिक आबादी की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ज्यादा सुनी जाती है, जिससे उस धर्म से जुड़े देशों और संगठनों का प्रभाव बढ़ता है। बता दें कि धर्मांतरण एक बहुआयामी घटना है, जिसके पीछे आस्था के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य भी छिपे हैं। सॉफ्ट कन्वर्जन एक धीमी लेकिन गहरी प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक पहचान को भी प्रभावित करती है, जबकि सामूहिक धर्मांतरण तात्कालिक दबावों का परिणाम हो सकता है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से धार्मिक समूहों की संख्या में वृद्धि न केवल स्थानीय नीतियों और कानूनों को प्रभावित करती है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी इसका असर पड़ता है। इस संवेदनशील मुद्दे को समझने के लिए इसके विभिन्न पहलुओं और ऐतिहासिक संदर्भों पर विचार करना आवश्यक है।

बहरहाल, कहानी जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा के काले कारनामों की है। खुद को स्वयंभू पीर बताने वाले छांगुर बाबा को धर्मांतरण के आरोप में यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। छांगुर बाबा की सहयोगी सह आरोपी नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया गया है। ये बलरामपुर जिले के मधपुर के रहने वाले हैं। छांगुर बाबा 2011 तक गांव-गांव घूमकर अंगूठी और नग बेचा करता था। धीरे-धीरे छांगुर बाबा मुंबई में मशहूर हाजी अली दरगाह पर भी अंगूठी और नग बेचने जाने लगा। जिसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति बदल गई। अचानक से 2020-2021 के बाद वह ठाठ-बाट से रहने लगा। लोग भी उसकी इस तरक्की से हैरान थे। फिर उसने जमीनों की खरीद-फरोख्त में कदम बढ़ाया। इसके बाद पीर बनकर लोगों को दुआएं देने लगा। छांगुर बाबा चर्चा में तब आया जब उसने मुंबई की एक दंपति और उसकी बेटी का धर्मांतरण कराया। पति नवीन रोहरा को बाबा ने जमालुद्दीन उसकी पत्नी नीतू को नसरीन नाम दिया। यह बेहद ही रसूखदार परिवार था, जिसके बाद यह लोग बाबा के साथ ही उसके आवास मधपुर उतरौला में रहने लगे। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बलरामपुर के उतरौला तहसील के रेहरा माफी गांव के फकीरी टोला में जन्मा छांगुर कभी सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करता था। लेकिन कुछ ही वर्षों में उसने न केवल अकूत संपत्ति अर्जित की, बल्कि एक संगठित अपराध नेटवर्क की नींव भी रख दी। उसकी आलीशान कोठी, शोरूम और लक्जरी गाड़ियां इस बात का सबूत थीं कि वह साधारण फकीर नहीं, बल्कि एक शातिर अपराधी था। छांगुर ने बलरामपुर के मधपुर गांव में तीन बीघा जमीन पर एक भव्य कोठी बनवाई, जिसकी कीमत करीब तीन करोड़ रुपए थी। इस कोठी में विदेशी सामान, जैसे दुबई से मंगाए गए स्पेनिश तेल, इत्र और अन्य लग्जरी उत्पाद मौजूद थे। कोठी की ऊंची दीवारों पर बिजली के तार और सीसीटीवी कैमरे इसकी सुरक्षा के लिए लगाए गए थे, जो उसके काले कारनामों को छिपाने का एक हिस्सा थे। इसके अलावा, उतरौला में उसका एक कपड़े का शोरूम और ब्यूटीशियन सेंटर भी था, जिसे नवीन रोहरा के नाम पर खरीदा गया था। धर्मांतरण समेत कई काले कारनामों का मास्टमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की उतरौला तहसील में तीन बीघे में बनी करोड़ों की आलीशान कोठी को बुल्डोजर से मिट्टी में मिला दिया। उत्तरप्रदेश के बलरामपुर जिला प्रशासन ने अवैध धर्मांतरण कांड के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी को बुल्डोजर से नेस्तनाबूद कर दिया।

गौरतलब है कि छांगुर

बाबा का असली खेल था अवैध रूप से धर्मांतरण। यूपी ATS की जांच में पता चला कि उसने करीब डेढ़ हजार महिलाओं और लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। उसका निशाना खास तौर पर गरीब और असहाय हिंदू परिवारों की लड़कियां थीं। वह चमत्कार, बीमारी के इलाज और आर्थिक मदद का लालच देकर इनका ब्रेनवॉश करता था। छांगुर और उसका गिरोह विभिन्न जातियों की लड़कियों के लिए धर्मांतरण की दरें तय करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, या सरदार लड़कियों के लिए 15-16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10-12 लाख और अन्य जातियों की लड़कियों के लिए 8-10 लाख रुपए की राशि तय थी। यह रैकेट इतना संगठित था कि इसके तार खाड़ी देशों तक जुड़े थे, जहां से 100 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग आती थी। छांगुर की सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन इस नेटवर्क की एक अहम कड़ी थी। वह गरीब हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती, उनकी समस्याओं का पता लगाती और फिर छांगुर बाबा के चमत्कारों का झांसा देकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाती। एक उदाहरण में, गुंजा गुप्ता नाम की एक लड़की को नीतू और नवीन (जो बाद में जमालुद्दीन बन गया) ने ब्रेनवॉश करके उसका नाम अलीना अंसारी रखवाया। जांच में पाया गया कि आरोपी पाए गए स्वयंभू पीर की संपत्तियों पर शिकंजा कसने के साथ छांगुर बाबा की सभी चल-अचल संपत्तियों का विवरण तत्काल उपलब्ध कराया गया। इसमें कई संपत्तियां नगर क्षेत्र और देहात में उसके और रिश्तेदारों के नाम पर मिली हैं। उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। ज्ञात हो कि छांगुर बाबा युवाओं को पैसे का लालच देकर वह धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। कुछ दिन पहले गोमतीनगर में छांगुर बाबा के शिकार बने लोगों ने एक बार फिर हिन्दू धर्म में वापसी की। रीति-रिवाज के साथ उन्होंने घर वापसी की प्रक्रिया पूरी की। कलेक्टर पवन अग्रवाल ने बताया कि जमालुद्दीन को आंतक निरोधक दस्ता ने गिरफ्तार किया था। 5 जुलाई, 2025 को यूपी एटीएस (एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड) और स्थानीय पुलिस ने उनकी पत्नी नीतू (नसरीन) और अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया था। बता दें कि एटीएस द्वारा आरोपी बाबा संग गिरफ्तार की गई नसरीन उर्फ नीलू की संपत्ति को भी जब्त किया जा रहा है। बाबा के झांसे में धर्मांतरण कर फंसी नीतू भी धर्मांतरण में मददगार थी। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में करीब आठ माह पूर्व आरोपी बाबा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 10 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें कई आरोपियों को एटीएस गिरफ्तार कर चुकीं है। एटीएस का दावा है कि आजमगढ़ में भी एक मुकदमा छांगुर के सहयोगियों पर दर्ज है। यही नहीं अब नामजद के अलावा आठ अन्य लोग भी आरोपित किए गए हैं। इस तरह 18 में चार की ही गिरफ्तारी हो पाई है। 14 लोगों की तलाश के लिए एटीएस ने अलग अलग टीमें बनाई है। जो संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते ने बलरामपुर जिले में एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, एक बड़े अवैध धर्मांतरण नेटवर्क का मास्टरमाइंड निकला। चर्चित धर्मांतरण कांड के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के तार अब मेरठ से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को बदर अली सिद्दीकी नामक युवक ने प्रेमजाल में फंसाकर न सिर्फ अगवा किया बल्कि उसका मानसिक और शारीरिक शोषण कर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया। परिजनों का दावा है कि बदर का छांगुर से सीधा संपर्क था और वह उसके नेटवर्क का सक्रिय सदस्य था। पीड़िता प्रिया (बदला हुआ नाम) मेरठ के

भूनी गांव की रहने वाली है, जो अपने करियर को उड़ान देने के लिए नोएडा की गौड़ सिटी में एयर होस्टेस कोर्स कर रही थी। वहीं, उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर बदर सिद्दीकी से हुई, जो नोएडा के एक कॉल सेंटर में भी काम करता था। बदर ने उसे प्रेमजाल में फंसाया और धीरे-धीरे उसका ब्रेनवॉश कर दिया। 29 जून 2019 को जब परिजन उससे मिलने गौड़ सिटी पहुंचे तो वह अपने फ्लैट से गायब थी। परिवार ने ढूंढा तो वह नशे की हालत में मिली। परिजनों ने बताया कि बदर ने उसे नशे की लत भी लगाई थी। युवती को कुछ समय बाद पुलिस ने बरामद किया और सरूरपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ। हालांकि कोर्ट में युवती ने बदर के पक्ष में बयान देकर खुद को बालिग बताया और उसके साथ रहने की इच्छा जताई। इसके बावजूद परिजन लगातार दावा करते रहे कि उनकी बेटी मानसिक दबाव और ब्रेनवॉश का शिकार है। उनके मुताबिक बेटी के शरीर पर सिगरेट से दागे गए निशान तक मिले थे। परिजनों का कहना है कि धनतेरस की रात 2019 में तीन लोग कार से आए थे और उनकी बेटी को जबरन ले गए। 6 साल बीत जाने के बावजूद बेटी का कोई सुराग नहीं है। बदनामी के डर से परिवार कैमरे के सामने आने से बच रहा है, लेकिन कैमरे के पीछे उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। बदर सिद्दीकी के पिता महमूद का कहना है कि उन्होंने 2019 में ही बेटे से संबंध खत्म कर लिए थे। उनका दावा है कि 2007 से ही बदर का व्यवहार बिगड़ गया था और परिवार ने उसे चेताया भी, लेकिन वह गलत संगत में पड़ गया। बदर के पिता एलआईसी में बीमा एजेंट रह चुके हैं और दिल की बीमारी से ग्रस्त हैं। उनका कहना है कि बेटे की करतूतों के कारण उन्हें रातों को नींद नहीं आती। मोहल्ले के लोगों के अनुसार बदर हैंडसम और बॉडीबिल्डर था, महंगी R1 बाइक चलाता था और उसका रंगीन मिजाज बदनाम था। कई लड़कियों के साथ उसके अफेयर की चर्चा आम थी। कुछ जानकारों का कहना है कि उसकी दोस्ती बाहरी युवकों से हुई थी, जिसके बाद वह चरमपंथी विचारधारा की ओर झुक गया। अब पुलिस छांगुर बाबा और बदर सिद्दीकी के रिश्ते की परतें उधेड़ने में जुटी है। धर्मांतरण गिरोह से बदर का कनेक्शन खोजने में मेरठ पुलिस जुट गई है। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर के मुताबिक यदि कोई ठोस सबूत मिलते हैं तो लखनऊ को सौंप देंगे। लखनऊ ही ही पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। यह मामला न सिर्फ एक परिवार की पीड़ा की कहानी है, बल्कि उन तमाम मासूम युवतियों के लिए चेतावनी भी है, जो सपनों के नाम पर ऐसी चालों में फंस जाती हैं।

बहरहाल, यूपी के बलरामपुर का जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अब एटीएस की पूछताछ में तोते की तरह बोल रहा है। उसने एटीएस को कई ऐसी बातें बताई हैं, जिसने सबको चौंका दिया है। अब उसके काले कारनामे धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि छांगुर अपने साथियों से कोडवर्ड में बातें करता था। विदेशों में नौकरी दिलवाने और धन का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जाता है।

छांगुर के 4 करीबी लोग धर्मांतरण करवाने का काम करते थे। नेपाल और खाड़ी देशों से संपर्क का हवाला देकर लोगों को अपने जाल में फंसाया जाता था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर अपने साथियों से जिन कोड वर्ड में बात करता है, उनको जानकर कोई भी चौंक सकता है। लड़कियां इस शातिर के लिए प्रोजेक्ट्स होती थीं, जबकि धर्मांतरण के लिए यह 'मिट्टी पलटना' शब्द का इस्तेमाल करता था। लोगों को अपने झांसे में लेना या फिर प्रभावित करने को यह 'काजल करना' कहता था। जब किसी को इस पाखंडी छांगुर बाबा से मिलवाना होता तो उसे 'दीदार' कहा जाता था। जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ है कि मजार पर त्रिशूल लगाकर छांगुर के साथी कव्वाली गाया करते थे। वे हिन्दू धर्म को पाखंड बताते थे। 2 साल पहले 18 लोगों पर इस मामले में केस भी हुआ था। उसके साथी नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन की बैंक डिटेल भी ईडी को दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने 'छांगुर बाबा' से संबंधित कथित धर्मांतरण गिरोह से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश और मुंबई में 14 जगहों पर छापे मारे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की एक टीम की मौजूदगी में ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी शुरू की। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 12 और मुंबई में दो ठिकानों पर छापेमारी की गई। संघीय जांच एजेंसी ने हाल में जलालुद्दीन उर्फ 'छांगुर बाबा' की गतिविधियों और वित्तीय विवरणों की जांच के लिए एक मामला दर्ज किया है। 'छांगुर बाबा' उत्तर प्रदेश में संचालित धर्मांतरण गिरोह का कथित सरगना है। बलरामपुर जिले के निवासी जलालुद्दीन का असली नाम करीमुल्ला शाह है। जलालुद्दीन, उसका बेटा महबूब और उसके साथियों नवीन उर्फ जमालुद्दीन तथा नीतू उर्फ नसरीन को हाल में उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल जेल में बंद हैं। इससे पहले, ईडी ने कहा था कि जलालुद्दीन ने अपने और अपने साथियों से जुड़े 40 बैंक खातों में लगभग 106 करोड़ रुपए जमा किए, जिनमें से अधिकांश राशि पश्चिम एशिया से मिली थी। एजेंसी ने आरोप लगाया कि जलालुद्दीन ने एक बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ था जो बलरामपुर स्थित चांद औलिया दरगाह के परिसर से संचालित होता

था। इसी जगह पर वह नियमित रूप से भारतीय और विदेशी नागरिकों की बड़ी सभाएं आयोजित करता था। बलरामपुर में उसकी एक आलीशान कोठी भी थी, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। यह कोठी अवैध रूप से ग्राम समाज की बंजर भूमि पर बनाई गई थी। इसमें एक कॉलेज, अस्पताल और मदरसा भी शामिल था। उसके पास एक निजी फोर्स भी थी, जिसमें लगभग 50 युवक शामिल थे। स्थानीय पुलिस और प्रशासन में भी उसका दबदबा था। इसके चलते उसके खिलाफ शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। यूपी एटीएस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि छांगुर को पिछले तीन सालों में लगभग 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग मिली थी। इसमें से 200 करोड़ की आधिकारिक पुष्टि हुई है, जबकि 300 करोड़ अवैध हवाला चैनलों के माध्यम से नेपाल के रास्ते भेजे गए थे। पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की जैसे मुस्लिम देशों से उसे फंडिंग मिलती थी। बताया जा रहा है कि नेपाल के सीमावर्ती जिलों-काठमांडू, नवलपरासी, रूपंदेही और बांके में 100 से अधिक बैंक खाते खोले गए थे। इन खातों में सीधे मुस्लिम देशों से फंड प्राप्त होता था। झांगुर इस फंड का उपयोग धर्मांतरण के लिए करता था। बताया जा रहा है कि वह सीमावर्ती जिलों के साथ ही अयोध्या जैसे पवित्र शहर की डेमोग्राफी भी बदलना चाहता था। बाबा के धर्मांतरण का गिरोह का नेटवर्क महाराष्ट्र तक फैला है। एटीएस की एफआईआर में मापुर उतरौला के जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, महबूब, नीतू उर्फ नसरीन, नवीन उर्फ जमालुद्दीन के साथ ही मोहम्मद सवरोज, रशीद, गैडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के रेहरामाफी निवासी शहाबुद्दीन, गोंडा के गानेपुर थाना क्षेत्र के रेतवागाड़ा निवासी रमजान, महाराष्ट्र के नागपुर शहर के मांगपुर निवासी ईदुल इस्लाम व एक अज्ञात का नाम शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसे पता चला है कि छांगुर बाबा को 22 बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी। इसमें विदेश से प्राप्त हुई बड़ी धनराशि भी शामिल है। संघीय जांच एजेंसी ने छांगुर बाबा के पैतृक जिले बलरामपुर में एक दर्जन से अधिक ठिकानों और मुंबई में 2 जगहों पर छापेमारी पूरी करने के बाद एक बयान जारी करके यह जानकारी दी। छांगुर बाबा, उसके बेटे महबूब और उसके सहयोगियों नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन उर्फ करीमुल्ला शाह के खिलाफ धन शोधन का मामला हाल ही में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा लखनऊ के गोमती नगर स्थित एक पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है। छांगुर बाबा, उसके बेटे महबूब और उसके सहयोगियों नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। वे वर्तमान में जेल में बंद हैं। एटीएस की शिकायत में गैरकानूनी धर्मांतरण, विदेशी धन के उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से जुड़ी एक 'बड़े पैमाने' की साजिश का आरोप लगाया गया है। छांगुर बाबा और उनके सहयोगियों पर बलरामपुर स्थित चांद औलिया दरगाह परिसर से संचालित एक व्यापक गिरोह स्थापित करने का आरोप है, जहां वे नियमित रूप से भारतीय और विदेशी नागरिकों की बड़ी सभाओं का आयोजन करते थे। ईडी ने कहा, उस पर अन्य धर्मों के लोगों, खासकर अनुसूचित जातियों और हिंदू धर्म से जुड़े आर्थिक रूप से वंचित लोगों को धर्मांतरण के लिए व्यवस्थित रूप से प्रेरित करने, मजबूर करने और उनके साथ छल करने का आरोप है। एजेंसी ने कहा कि उसने छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों से संबंधित 22 बैंक खातों का विश्लेषण किया और पाया है कि उसे और उसके सहयोगियों को 60 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई थी। ईडी ने कहा, यह भी पाया गया कि छांगुर बाबा और उनके सहयोगियों ने विदेश से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया है। तलाशी के दौरान कई दस्तावेज भी जब्त किए गए, जिनसे पता चलता है कि 'अपराध की आय' (अवैध धन) मुख्य रूप से विभिन्न लोगों को करोड़ों रुपए की अचल संपत्तियां खरीदने और इन संपत्तियों पर निर्माण कार्य करने के लिए हस्तांतरित की गई थी। ईडी ने कहा कि छांगुर बाबा द्वारा अर्जित सभी अचल संपत्तियां उसके सहयोगियों, नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के नाम पर हैं, ताकि धन शोधन में उसकी वास्तविक संलिप्तता को छिपाया जा सके। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद बलरामपुर में उससे जुड़े अवैध निर्माणों को जिला प्रशासन ने ढहा दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के कृत्यों को न केवल समाज-विरोधी, बल्कि 'राष्ट्र-विरोधी' करार दिया था।

दरअसल धर्मांतरण यानी एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन, एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जिसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक आयाम हैं। यह केवल व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं रह गया है, बल्कि कई बार इसके पीछे गहरे एजेंडे और रणनीतियां भी काम करती हैं। हाल ही में बांग्लादेश से आई तस्वीरें, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटते हुए नाबालिग हिंदुओं से धर्म बदलने की बात की जा रही थी, इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाती हैं। इस तरह के घटनाक्रम धर्मांतरण के विभिन्न रूपों और उनके वास्तविक उद्देश्यों पर सोचने को मजबूर करते हैं। धर्मांतरण का एक रूप सॉफ्ट कन्वर्जन कहलाता है। यह वह प्रक्रिया है जो बिना किसी प्रत्यक्ष जबरदस्ती के धीरे-धीरे और समय लेकर की जाती है। इसका उद्देश्य लोगों की सांस्कृतिक पहचान को भी प्रभावित करना होता है, जिसे कुछ लोग 'सॉफ्ट कॉलोनियलिज्म' (नरम उपनिवेशवाद) के रूप में देखते हैं। ब्रिटिश भारत में ईसाई मिशनरियों ने इसी रणनीति का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और अनाथालय खोले, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती थीं। इन सेवाओं के माध्यम से, विशेषकर गरीब, वंचित और बीमार लोगों को आकर्षित किया जाता था। धीरे-धीरे, इन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और प्रभाव के जरिए

लोगों को ईसाई धर्म की ओर मोड़ा जाता था। यह धर्मांतरण गरीबी, बीमारी या सामाजिक भेदभाव का लाभ उठाकर किया जाता था, और अक्सर यह इतना सूक्ष्म होता था कि लोग अपनी मूल सांस्कृतिक जड़ों से कट जाते थे। आज भी देश के आदिवासी बहुल इलाकों या आपदा प्रभावित क्षेत्रों से ऐसी खबरें आती हैं कि वहां के लोग गरीबी, जातिगत भेदभाव, बीमारी या प्राकृतिक आपदा के वक्त धर्मांतरण की कोशिशों का सामना करते हैं। राहत सामग्री, मुफ्त शिक्षा या चिकित्सा सहायता के बदले धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव दिया जाता है। यह तरीका अधिक टिकाऊ माना जाता है क्योंकि इसमें लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान तक खो देते हैं, जिससे वापसी की संभावना कम हो जाती है। वही सॉफ्ट कन्वर्जन के विपरीत, सामूहिक धर्मांतरण अक्सर किसी विशेष घटना या तात्कालिक दबाव के कारण होता है। यह गरीबी, सामाजिक बहिष्कार या किसी बड़े संकट के समय अधि क देखने को मिलता है, जहां एक साथ बड़ी संख्या में लोग अपना ध र्म बदलते हैं। हालांकि, इसके पीछे भी अक्सर एक संगठित नेटवर्क काम करता है। अब सवाल है कि धर्मांतरण से किसे फायदा? धर्मांतरण का असली एजेंडा केवल धार्मिक आस्था का प्रसार नहीं होता, बल्कि इसके गहरे सामाजिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक निहितार्थ होते हैं। अगर किसी देश में या दुनिया के कई देशों में एक धर्म के अनुयायी बढ़ जाते हैं, तो वहां की नीतियां और यहां तक कि कानून भी उसी धर्म के सिद्धांतों और हितों के मुताबिक हो सकते हैं। 'ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन' और 'वेटिकन' इसके सीधे प्रमाण हैं, जहां धार्मिक पहचान वैश्विक मंचों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीधी बात है कि अगर किसी धर्म का ग्राफ ऊपर जाएगा, तो वही धर्म वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे फैसले उसी धर्म के अनुसार प्रभावित होंगे और उसी धर्म को मानने वालों का फायदा होगा। यह धार्मिक जनसांख्यिकी का भू-राजनीतिक शक्ति पर सीधा प्रभाव है।

बहरहाल, छांगुर को बचपन से उसके बाएं हाथ में छह उंगलियां हैं, इसी के चलते उसका नाम छांगुर (छह उंगलियों वाला) नाम पड़ा। उसका जन्म बलरामपुर के रेहरा माफी गांव में हुआ था। वह पहले अंगूठी और नग बेचने का काम करता था। मुंबई की हाजी अली दरगाह पर एक दिन उसकी मुलाकात नीतू और नवीन नामक पति-पत्नी से हुई। इन्हें कोई संतान नहीं थी। बताया जाता है कि छांगुर ने दोनों को अंगूठी देकर संतान प्राप्ति की दुआ। संयोग से कुछ समय बाद नीतू ने एक बेटी को जन्म दिया। ये दोनों छांगुर से इतने प्रभावित हुए कि नीतू नसरीन हो गई और नवीन जमालुद्दीन। फिर इन दोनों का छांगुर ने अपने नेटवर्क में भी बखूबी इस्तेमाल किया। धीरे-धीरे छांगुर लोगों में 'पीर बाबा' के नाम से मशहूर हो गया। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की भरोसेमंद नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एक लाल डायरी बरामद हुई है। यह लाल डायरी अपने भीतर कई राज छुपाए हुए हैं। यह डायरी अब कई ऐसे नामों को उजागर कर सकती है, जिससे यूपी की सियासत में भूचाल आ सकता है। दरअसल, इस डायरे के जब्त होने के बाद कई सनसनीखेज राज उजागर हो सकते हैं। लाल डायरी में ऐसे कई राजनेताओं के नाम मिले हैं, जिन्हें छांगुर ने विधानसभा चुनाव के दौरान मोटी रकम दी थी। छांगुर ऐसे नेताओं के समर्थन के लिए समय-समय पर लखनऊ भी जाता रहता है। छांगुर की अतीक अहमद के साथ तस्वीरें भी पहले ही वायरल हैं। माना जा रहा है कि कई नेता और अफसर इस लाल डायरी से बेनकाब हो सकते हैं। बता दें कि छांगुर प्रचार के लिए ऐसे नेताओं पर पानी की तरह पैसे बहाता था, ताकि उसका राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण बना रहे। नेताओं के कार्यक्रम और उसमें लगने वाला पूरा पैसा छांगुर ही खर्च करता था। गिरफ्तारी से पहले भी जगह-जगह जलसों में वह पुलिस अधिकारियों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलवाता था। जांच में यह भी सामने आया कि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी से छांगुर के करीबी रिश्ते रहे हैं। जांच में पता चला है की अवैध धर्मांतरण के खेल में उसे पुलिस अफसरों और प्रशासन से भी पूरा संरक्षण मिलता था। छांगुर को लगता था कि उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। वही नेपाल से सटे संवेदनशील बलरामपुर जिले की राजनीति को देखें तो बीते 10 वर्षों से सभी विधानसभा

क्षेत्रों में छांगुर की पैठ बढ़ी थी। बात चाहे लोकसभा चुनाव की हो या फिर विधानसभा की, छांगुर सभी चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय रहता था। प्रत्याशियों को फंडिंग करता था। अपने अनुयायियों से उनके पक्ष में मतदान की अपील भी करता था। तहसील क्षेत्र में तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सीधे प्रभावित कर रहा था। छांगुर खुद भी ग्राम प्रधान रह चुका था तो उसे इस चुनाव की अहमियत पता थी। एटीएस की जांच में नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से बरामद लाल डायरी में ऐसे राजनेताओं के भी नाम मिले हैं, जिन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में छांगुर ने मोटी रकम दी थी, चर्चा है कि उतरौला से एक पूर्व प्रत्याशी को छांगुर ने 90 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सके। इस बार वो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरौला से चुनाव मैदान में उतारने के लिए जमीन तैयार कर रहा था। किन्तु इससे पहले ही छांगुर बाबा का तिलिस्म टूट गया और उसके कारनामे सब के सामने आ गये। सनद् रहे कि छांगुर बाबा का तिलिस्म टूटने की शुरुआत तब हुई, जब बलरामपुर के स्थानीय लोगों ने उसके संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत की। विदेशी फंडिंग, आलीशान संपत्तियों, और धर्मांतरण की खबरों ने यूपी ATS को अलर्ट किया। जांच में पता चला कि छांगुर का नेटवर्क भारत-नेपाल सीमा पर 'दावा केंद्र' बनाने की योजना पर काम कर रहा था। एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) अमिताभ यश ने बताया कि छांगुर बाबा और उसके गिरोह के अन्य सदस्य, जैसे महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, और आमीन रिजवी संगठित तरीके से काम करते थे। इनके खिलाफ 2023 में आजमगढ़ के देवगांव थाने में भी एक FIR दर्ज की गई थी। छांगुर बाबा का यह मामला केवल एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। यूपी ATS और अन्य खुफिया एजेंसियां इस नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की जांच कर रही हैं। यह मामला भारत में अवैध धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग के खतरों को उजागर करता है। स्थानीय लोगों का एक वर्ग अभी भी छांगुर को 'रूहानी बाबा' मानता है, जो जांच को और जटिल बनाता है। छांगुर बाबा का तिलिस्म, जो चमत्कार और धर्म के नाम पर बुना गया था, यूपी ATS की सतर्कता और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से टूट गया। सरकार और जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हैं, ताकि इस तरह के अपराधों को पूरी तरह खत्म किया जा सके। यह कहानी न केवल एक अपराधी के पतन की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कानून और सच्चाई के सामने कोई तिलिस्म टिक नहीं सकता।

भाजपा के सिस्टम ने की छात्रा की हत्या!

एक शिक्षक द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने के मामले में न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने वाली 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में दम तोड़ दिया। शिक्षक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से आहत छात्रा ने यह कदम उठाया और वह 95 प्रतिशत तक झुलस गई थी। बालासोर के फकीर मोहन (स्वायत्त) महाविद्यालय की एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम की द्वितीय वर्ष की छात्रा ने तीन दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद दम तोड़ दिया। छात्रा को पहले बालासोर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर बेहतर उपचार के लिए भुवनेश्वर स्थित एम्स भेज दिया गया। छात्रा की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि मामले में सभी दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार 'बर्न सेंटर' विभाग की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में उसका उपचार किया जा रहा था। बर्न सेंटर ने एक बयान में कहा कि मरीज को 'फ्लूइड्स' (अंतरशिरा तरल) और 'एंटीबायोटिक्स' (संक्रमण को खत्म करने वाली दवा) दी गई, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। विभाग के आईसीयू में उपचार किया गया और गुर्दे की 'रिप्लेसमेंट थेरेपी' सहित सभी संभव सहायक उपायों के बावजूद, उसे बचाया नहीं जा सका और 14 जुलाई की रात 11 बजकर 46 मिनट पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री मोहन माझी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 'फकीर मोहन (स्वायत्त) महाविद्यालय की छात्रा की मृत्यु की खबर सुनकर बेहद दुखी हूं। सरकार द्वारा सभी जिम्मेदारियों को निभाने और विशेषज्ञ चिकित्सा दल के अथक प्रयासों के बावजूद, छात्रा को नहीं बचाया जा सका।' उन्होंने कहा कि मैं छात्रा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता

हूं और भगवान जगन्नाथ से उनके परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। मैं छात्रा के परिवार को आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में सभी दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके लिए मैंने खुद अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार परिवार के साथ है। भुवनेश्वर स्थित एम्स के पांचवें दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के 'बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी' विभाग का दौरा किया था और छात्रा का हालचाल जाना था। एम्स में पोस्टमार्टम के बाद छात्रा का शव बालासोर जिले के उसके पैतृक गांव पलासिया भेज दिया गया। इस बीच, विपक्षी दल बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस के सदस्यों ने अस्पताल परिसर में विरोध-प्रदर्शन भी किया। जैसे ही अस्पताल ने छात्रा की मौत की सूचना जारी की तो बीजद और कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता देर रात

Department of Burn Centre
All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar
At: Sijua, Post: Dumuduma, Bhubaneswar- 751019

Medical Updates

Date: 14th July 2025 Time: 2346 Hrs

Patient, Ms.Somyashree Bisi, 20 years / F , was brought to casualty on 12/07/25 at 5:15 PM, (brought by and informed by Jyoti Rekha Bhuyan ,patient's friend) referred from DHH, Balasore to AIIMS Bhubaneswar where she was admitted to the Burns Centre ICU.

Patient was resuscitated with IV fluids, IV antibiotics, intubated and put on mechanical ventilation.

Despite adequate resuscitation and all possible supportive management including renal replacement therapy at Burns ICU , she could not be revived and was declared clinically dead at 11:46 PM on 14/07/25.

Dr.Sanjay Kumar Giri
Addl.Prof .& HOD
Burn& Plastic Surgery

Dr. Santanu Suba
Asso Prof.
Burn and Plastic Surgery

Dr. Syama Sundar Behera
Asst. Prof.
Burn& Plastic Surgery

Dr. Devishree Das
Asst. Prof
Anesthesiology

Dr. Mahalingam V
Nursing Superintendent -II

एम्स परिसर के अंदर विरोध-प्रदर्शन करने पहुंच गए। शव ले जा रहे वाहन को वहां निकालने के लिए पुलिस को सड़क से विपक्षी सदस्यों को बलपूर्वक खदेड़ना पड़ा।

गौरतलब है कि बालेश्वर जिले के फकीर मोहन कॉलेज की छात्रा के आत्मदाह केस में चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। इसमें अब समीर साहू ने छात्रा से जो कहा था वही बात वायरल हो रही है। समीर साहू ने छात्रा से कहा था-'तुम बच्ची नहीं हो, समझो मैं क्या चाहता हूं'। दरअसल, आंतरिक शिकायत समिति की सदस्य मिनती सेठी ने बताया कि छात्रा ने साहू के खिलाफ मानसिक और यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। बता दें कि ओडिशा के बालेश्वर जिले के फकीर मोहन कॉलेज में एक दिल दहला देने वाली घटी। यौन उत्पीड़न से परेशान होकर बी.एड की एक छात्रा ने खुद को आग लगा ली थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 20 साल की बीएड की एक छात्रा ने 12 जुलाई को खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह कर लिया। बताया जा रहा है कि छात्रा कॉलेज के प्रोफेसर समीर साहू से परेशान थी। उसने कई बार उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। छात्रा 95% जल चुकी थी और उसे पहले बालेश्वर अस्पताल और फिर

एम्स भुवनेश्वर रेफर किया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सनद् रहे कि कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति ने इस मामले की जांच की थी। ICC की सदस्य मिनती सेठी ने बताया कि छात्रा ने साहू के खिलाफ मानसिक और यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि साहू छात्रों को छोटी-छोटी बातों पर क्लास से बाहर खड़ा कर देते थे। एक बार वह छात्रा भी देर से आने पर क्लास से बाहर खड़ी कर दी गई थी, जिससे वह बहुत आहत हुई थी। मिनती सेठी ने बताया कि 30 जून को साहू ने छात्रा को सेमेस्टर परीक्षा देने से भी रोक दिया था। इसके अगले ही दिन छात्रा ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया कि साहू ने छात्रा से 'फेवर' मांगने की बात कही थी। जब छात्रा ने पूछा कि कैसा फेवर, तो साहू ने कथित रूप से कहा, "तुम बच्ची नहीं हो, समझ सकती हो मैं क्या चाहता हूं।" हालांकि, सेठी ने यह भी माना कि इस बात

को साबित करना मुश्किल था, क्योंकि ऐसे मामलों में सबूत इकट्ठा करना बेहद कठिन होता है। इस मामले में ICC ने प्रोफेसर समीर साहू को हटाने की सिफारिश भी की थी। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसका असर यह हुआ कि पीड़ित छात्रा खुद को असहाय महसूस करने लगी और आखिरकार आत्मदाह जैसा कदम उठा लिया। इस घटना के बाद पूरे ओडिशा में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कई छात्र संगठन और विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांग रही हैं। कांग्रेस ने पूरे राज्य में बंद का ऐलान भी किया।

बताते चले कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ओडिशा के बालासोर में आत्मदाह करने वाली छात्रा के पिता से बात की और उन्हें न्याय की लड़ाई में पूरी मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, ओडिशा के बालासोर में इंसाफ की लड़ाई में जान गंवाने

वाली बहादुर बेटी के पिता से बात की। उनकी आवाज में बेटी का दर्द, सपना और संघर्ष सब महसूस किया। उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी और मैं हर कदम पर उनके साथ हैं। जो हुआ वह अमानवीय और शर्मनाक ही नहीं, पूरे समाज के लिए जख्म है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भाजपा के सिस्टम ने इस लड़की की हत्या की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस विषय पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, बल्कि जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा के सिस्टम ने इस लड़की की हत्या की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस विषय पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, बल्कि जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि ओडिशा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत, सीधे-सीधे भाजपा के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। उस बहादुर छात्रा ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन न्याय देने के बजाय उसे धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, बार-बार अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि जिन्हें उसकी रक्षा करनी थी, वही उसे तोड़ते रहे। हर बार की तरह भाजपा का सिस्टम आरोपियों को बचाता रहा और एक मासूम बेटी को खुद को आग लगाने पर मजबूर कर दिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। उन्होंने कहा कि मोदी जी, ओडिशा हो या मणिपुर - देश की बेटियां जल रही हैं, टूट रही हैं, दम तोड़ रही हैं। और आप खामोश बने बैठे हैं। देश को आपकी चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। भारत की बेटियों को सुरक्षा और इंसाफ चाहिए।

बहरहाल, सवाल यह उठता हैं कि जब छात्रा ने शिकायत की थी, तो कार्रवाई में देरी क्यों हुई? ICC की सिफारिश के बावजूद आरोपी को क्यों नहीं हटाया गया? क्या कॉलेज प्रशासन छात्रा की जान बचा सकता था? फकीर मोहन कॉलेज की इस दुखद घटना ने न सिर्फ एक होनहार छात्रा की जान ले ली, बल्कि यह भी दिखा दिया कि यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों में अगर समय पर कार्रवाई नहीं की जाए, तो इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या कॉलेज और प्रशासन जिम्मेदारी लेंगे या फिर यह मामला भी बाकी मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा?

'Parents Shamed Her for Wearing Shorts, Talking to Boys': Radhika Yadav's Best Friend Speaks Out

In a tragic turn of events that has shocked the nation, 25-year-old national-level tennis player Radhika Yadav was shot dead allegedly by her own father. Now, three days after the incident, Radhika's best friend and fellow athlete, Himaanshika Singh Rajput, has come forward with explosive revelations, accusing the father of years of emotional and psychological abuse.

"He Made Her Life Miserable"

In an emotional Instagram post, Himaanshika shared two videos — one a montage of Radhika's smiling photos and training clips, and the other a heartfelt message exposing the disturbing reality of her friend's life behind closed doors. "My best friend Radhika was murdered by her own father. He shot her five times. Four bullets hit her. He made her life miserable for years with his controlling, constant criticism," Himaanshika said in the video. She added that Radhika's father acted on the advice of people jealous of her success, and that the tennis star was constantly policed for being independent and modern.

"They Shamed Her for Being Herself"

According to Himaanshika, Radhika's parents were extremely conservative and shamed her for wearing shorts or speaking to boys. "They couldn't stand to see her independent," she said. "She was made to feel guilty for living life on her own terms." Despite her achievements in tennis and the establishment of her own academy, Radhika faced constant

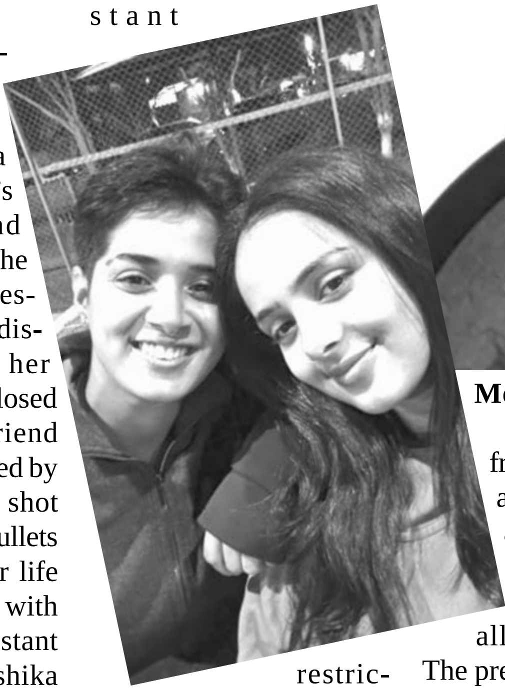

restrictions. "Even on video calls, she had to turn the camera to show who she was talking to — often me — to avoid suspicion," Himaanshika revealed.

Strict Rules Even 50 Meters Away

Describing her friend's isolation, she added, "Even if her academy was just 50 meters from home, she wasn't allowed to be late. The pressure was intense. She loved creating content, making videos — but her parents disapproved, so she stopped." The two had been friends since 2012, bonding over tennis. "She was reserved, not because she wanted to be, but because she had to be. I never saw her talk to anyone outside family."

"Stop Spreading Communal Hate"

Himaanshika also addressed rumors circulating on social media suggesting a communal motive, denying them outright. "People are calling this love jihad — but where is the proof? She barely spoke to anyone. She was isolated. Please stop using

her death to spread hate." According to Gurugram Police, Deepak Yadav fired five bullets at his daughter, three of which struck her in the back and one in the shoulder. She was rushed to a hospital but succumbed to her injuries. Her last rites were conducted in her native village, Wazirabad, on Friday. A city court remanded Deepak Yadav to 14-day judicial custody on Saturday. During questioning, he told police he was "humiliated" by rumours that he was living off Radhika's income.

MP Gajab Hai!

After Bhopal's 90 Degree Bridge, Indore's 'Z-Shaped' Railway Overbridge Sparks Safety Fears

Just days after Bhopal's controversial Aishbagh Railway Over Bridge (ROB) made headlines for its awkward 90-degree turn, a similar design flaw is now raising eyebrows in Indore. A new under construction ROB near Polo Ground has become the center of criticism due to its Z-shaped design, featuring two sharp 90-degree turns.

The bridge, being constructed by the Public Works Department (PWD), aims to connect Laxmibai Nagar to Polo Ground via Bhagirathpura and MR-4, but its angular layout has shocked both residents and road safety experts. The sharp bends are especially concerning to truck drivers and local industrialists, who fear it could become a hotspot for accidents. MP Shankar Lalwani has written a letter to the state's Public Works Minister over the design besides instructing officials to change the sharp turn proposed in the design of the under-construction ROB. "I have asked the officials to rectify this dangerous turn to prevent potential accidents and traffic chaos," Lalwani said.

PWD Responds to Criticism

Facing mounting backlash, PWD officials are now re-evaluating the design. Executive Engineer Gurmeet Kaur Bhatia confirmed the reassessment, "We are re-examining the design following concerns raised in the media. Necessary improvements will be made if required." The Polo Ground Industrialists Welfare Association has also expressed strong objections over the ROB. Its president, Dhananjay Chinchalkar, warned of the steep slopes and dangerous turns, stating that, "If this design is implemented, accidents are certain."

Political Storm Brews

The controversy has sparked political reactions as well. Congress leader Sajjan Singh Verma mocked the project, saying, "The city's minister must be asleep, or the PWD minister is out of his senses. It looks like Indore engineers are trying to outdo Bhopal's blunder by adding not one but two 90-degree turns." PWD Minister Rakesh Singh defended the design, stating that it includes a 20-meter turning radius, superelevation, and a design speed of 20 kmph, arguing that such adjustments were necessary due to space constraints. The unfolding situation draws parallels to Bhopal's Aishbagh ROB fiasco, where poor design led to massive criticism, memes, and eventually, the suspension of seven engineers, including two chief engineers.

निमिषा प्रिया की बच पाएगी जान?

केरल के पलक्कड़ की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया का यमन में मृत्युदंड फिलहाल टल गया है। निमिषा को 16 जुलाई को मृत्युदंड दिया जाना था। निमिषा पर स्थानीय नागरिक तलाल अब्दो महदी की जान लेने का आरोप है। मानवाधिकार संगठन और उसका परिवार निमिषा को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि ऐसी जानकारी मिली है कि यमन के स्थानीय अधिकारियों ने 16 जुलाई को होने वाली फांसी की सजा टाल दी है। भारत की 38 वर्षीय नर्स अभी यमन की राजधानी सना की एक जेल में बंद है, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाला क्षेत्र है। यमन की एक अदालत ने 2020 में उसे मौत की सजा सुनाई थी और देश की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने नवंबर 2023 में उसकी अपील खारिज कर दी थी। निमिषा का आरोप था कि महदी ने उन्हें मानसिक, शारीरिक और वित्तीय रूप से प्रताड़ित किया था। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और नकली विवाह प्रमाण पत्र भी बनवाए। इस सबसे तंग आकर जुलाई 2017 में निमिषा ने कथित तौर पर

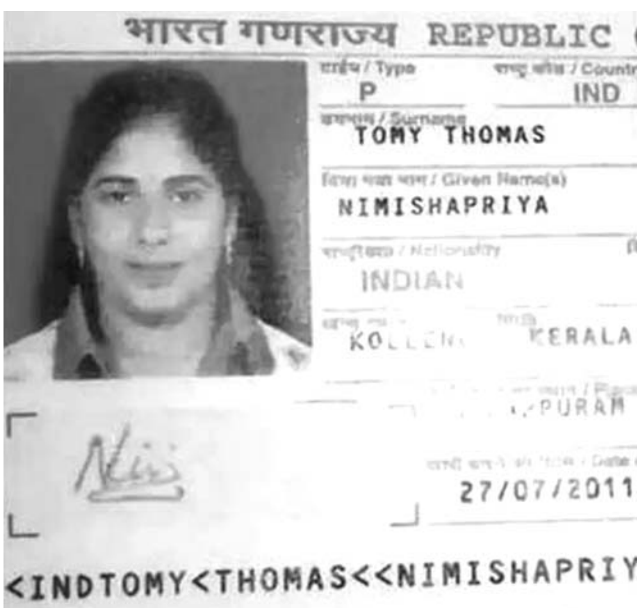

महदी को बेहोशी की दवा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। निमिषा के पहली बार 2020 में मौत की सजा सुनाई गई और 2023 में उनकी अंतिम अपील भी खारिज कर दी गई। दूसरी ओर, 'सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल' और उनके परिवार द्वारा यमन के कानून के तहत 'ब्लड मनी' यानी दिय्याह के रूप में पीड़ित परिवार को 1 मिलियन डॉलर (लगभग 8.5 करोड़ रुपए) देने की पेशकश की है। निमिषा के गांव कोल्लंगोड में लोग उसे बचाने के लिए प्रार्थनाएं और व्रत कर रहे हैं कि किसी चमत्कार से निमिषा की जान बच जाए। वही यमन के अधिकारियों द्वारा केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टालने से उनके परिवार ने राहत की सांस ली है। प्रिया के पति ने सरकार और अन्य संगठनों के सामूहिक प्रयास पर संतोष व्यक्त किया है। उनके पति टॉमी थॉमस ने बताया कि फांसी टाल दी गई है। यह अच्छी खबर है। हम खुश और राहत महसूस कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि उसकी फांसी रुकवाने और उसे सुरक्षित वापस लाने के प्रयास जारी रहेंगे। टॉमी ने इस मुहिम में समर्थन के लिए सभी लोगों का धन्यवाद

किया। थॉमस ने बताया कि उनकी एक बेटी है, जो 12वीं कक्षा में पढ़ती है और उसे इन सब चीजों से दूर रखा गया है। सूत्रों ने बताया कि ऐसी जानकारी मिली है कि यमन के स्थानीय अधिकारियों ने 16 जुलाई को होने वाली फांसी की सजा टाल दी है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने हाल के दिनों में प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ 'पारस्परिक रूप से स्वीकार्य' समाधान तक पहुंचने के वास्ते अधिक समय देने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार शुरू से ही इस मामले में हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि मामले की संवेदनशीलता के बावजूद भारतीय अधिकारी स्थानीय जेल अधिकारियों और अभियोजक कार्यालय के साथ नियमित संपर्क में रहे, जिसके कारण सजा स्थगित कराने में सफलता मिली। बता दे कि प्रिया की मां प्रेमकुमारी पिछले साल उसकी रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत यमन गई थीं। भारत ने प्रिया की रिहाई के लिए 'दियात' या 'ब्लड मनी' (एक तरह का मुआवजा) का विकल्प भी तलाशा था। लेकिन पता चला है कि इसमें भी कुछ समस्याएं हैं। सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि वह हरसंभव कोशिश कर रही है, लेकिन यमन की स्थिति को देखते हुए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता।

गौरतलब है कि यमन में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और इस राहत के पीछे एक बड़ा नाम सामने आया है-ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया, शेख अबूबकर अहमद मुसलियार। निमिषा को 16 जुलाई को यमन में फांसी दी जानी थी, जिसे टालने के लिए भारत सरकार भी प्रयास कर रही थी। यह खबर न केवल निमिषा के परिवार के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है, बल्कि इसने एक बार फिर भारत में धार्मिक सद्भाव और मानवीय मूल्यों की शक्ति को उजागर किया है। आइए जानते हैं कौन हैं ग्रैंड मुफ्ती और कैसे उन्होंने इस जटिल मामले में हस्तक्षेप किया। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया का पूरा नाम शेख अबूबकर अहमद मुसलियार है, जिन्हें कंथापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार के नाम से भी जाना जाता है। वे भारत के दसवें और वर्तमान ग्रैंड मुफ्ती हैं, जो भारत में सुन्नी मुस्लिम समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं। उनका जन्म 22 मार्च 1931 को केरल के कोझिकोड जिले के कंथापुरम गाँव में हुआ था। वे अपने गृह राज्य केरल में रहते हैं और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा के महासचिव भी हैं। उन्हें 24 फरवरी, 2019 को अखिल भारतीय तंजीम उलेमाए इस्लाम की ओर से नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित गरीब नवाज शांति सम्मेलन में ग्रैंड मुफ्ती चुना गया था। यह पद उन्हें इस्लामिक कानून (फतवा) पर कानूनी राय देने और धार्मिक व सामाजिक मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करने का अधिकार देता है। वे इस पद पर पहुंचने वाले दक्षिण भारत के पहले व्यक्ति हैं, जो केरल के मुस्लिम समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। बता दे कि निमिषा प्रिया को 2017 में यमन के एक व्यापारी तलाल अब्दो महदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद से वह सना जेल

में बंद थीं। निमिषा का कहना है कि उन्होंने महदी को केवल बेहोश करने के लिए केटामाइन का इंजेक्शन लगाया था, लेकिन ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई। यमन के कानून के तहत, पीड़ित के परिवार को 'ब्लड मनी' देकर दोषी को सजा से बचाया जा सकता है। निमिषा के परिवार ने 'ब्लड मनी' के लिए कई प्रयास किए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में, ग्रैंड मुफ्ती अबूबकर मुसलियार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने यमन के सूफी धार्मिक नेताओं और विद्वानों से संपर्क किया और उनसे मृतक महदी के परिवार से बातचीत करने का आग्रह किया। मुसलियार ने बताया कि इस्लाम में एक ऐसा कानून है जो पीड़ित के परिवार को हत्यारे को माफ करने की अनुमति देता है, खासकर यदि 'ब्लड मनी' का भुगतान किया जाता है। उन्होंने यमनी विद्वानों को इस मानवीय पहलू को समझाने का प्रयास किया और फांसी को अस्थायी रूप से स्थगित करने का अनुरोध किया, जिस पर यमनी प्रशासन ने विचार किया और फिलहाल फांसी पर रोक लगा दी गई है। इस्लाम में, मुफ्ती एक उच्च-पदस्थ इस्लामी विद्वान होते हैं जो इस्लामिक कानून (शरिया) की व्याख्या करने और धार्मिक या सामाजिक मुद्दों पर गैर-बाध्यकारी कानूनी राय (फतवा) जारी करने के लिए अधिकृत होते हैं। वे कुरान, हदीस और इस्लामी न्यायशास्त्र के गहरे जानकार होते हैं। मुफ्ती का पद मौलवी या मौलाना से उच्च माना जाता है और वे समुदाय को धार्मिक मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रैंड मुफ्ती किसी देश या क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के सर्वोच्च मुफ्ती होते हैं। ज्ञात हो कि शेख अबूबकर अहमद मुसलियार पहले भी कई बार चर्चा में रहे हैं। वे अपने शांति प्रयासों, धार्मिक संवाद और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए

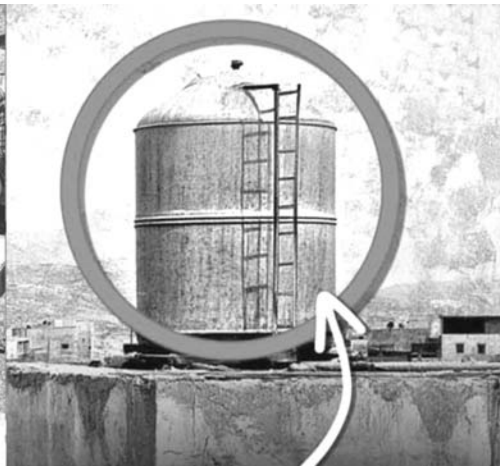

कामों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2014 में ISIS के खिलाफ शुरुआती फतवे जारी किए थे और भारत के विविध समाज में धर्मनिरपेक्ष भावना को बढ़ावा देते रहे हैं। उन्होंने अरबी, उर्दू और मलयालम में 60 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और कई शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्थानों का संचालन किया है। 2023 में उन्हें मलेशिया के राजा द्वारा 'टोकोह माल हिजरा इंटरनेशनल अवॉर्ड' से भी सम्मानित किया गया था। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के दौरान भी उन्होंने अपने बयानों से सुर्खियां बटोरी थीं, जहाँ उन्होंने महिलाओं को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन न करने की नसीहत दी थी। ग्रैंड मुफ्ती की यह पहल निमिषा प्रिया के जीवन को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह एक बार फिर दर्शाता है कि कैसे धार्मिक नेता मानवीय संकटों में आशा की किरण बन सकते हैं।

दरअसल, केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली 38 वर्षीय निमिषा प्रिया, साल 2008 में नर्स की नौकरी के लिए यमन गई थीं। वहां निमिषा ने एक क्लिनिक खोला। लेकिन यमन के कानून के तहत, विदेशी को स्थानीय साझेदार रखना अनिवार्य है। इसलिए निमिषा ने एक यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी को अपना साझेदार बनाया। आरोपों के मुताबिक मेहदी ने उसके साथ धोखाधड़ी की, पैसे हड़पे और यहां तक कि उस पर शादी का झूठा दावा भी किया। परिवार की याचिका बताती है कि मेहदी ने निमिषा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। नतीजतन साल 2017 में, निमिषा ने मेहदी को बेहोश कर पासपोर्ट वापस लेने की योजना बनाई पर ड्रग की ओवरडोज से मेहदी की मौत हो गई। घबराहट में निमिषा और उसकी साथी नर्स ने शव के टुकड़े कर उसे पानी की टंकी में फेंक दिया। यमन की अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, निमिषा प्रिया ने जुलाई 2017 में कथित तौर पर अपने स्थानीय व्यापारिक साझेदार तलाल अब्दो मेहदी को नशीला पदार्थ देकर उसकी हत्या कर दी और एक अन्य नर्स की मदद से उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। इसके बाद उसने उसके क्षत-विक्षत अंगों को एक अडंरग्राउंड टैंक में फेंक दिया। मेहदी की हत्या का पता चलने के बाद निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने कथित तौर पर अपने एक बयान में हत्या की बात कबूल कर ली। सना की अधीनस्थ अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। उसने इस फैसले को यमन की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी, लेकिन उसकी अपील खारिज कर दी गई और मौत की सजा बरकरार रखी गई। वही निमिषा ने फिर यमन के राष्ट्रपति से दया की अपील की, लेकिन उन्होंने उसे माफी देने से इनकार कर दिया। मृतक तलाल अब्दो मेहदी का परिवार हत्या के अपराध को माफ करने के बदले पैसा (ब्लड मनी) लेने को भी तैयार नहीं है। दरअसल निमिषा प्रिया के लिए सभी कानूनी प्रयास किए गए, लेकिन उसके खिलाफ आरोप इतने गंभीर थे कि सभी प्रयास विफल रहे। लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल और संगठन खासकर उसके गृह राज्य केरल के निमिषा प्रिया को मौत की सजा से बचाने के लिए भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। जिस पर कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। यमन का न्याय इस्लामी शरीया पर आधारित है, वहां "दिया" यानी ब्लड मनी की व्यवस्था लागू है। अगर मृतक का परिवार तय रकम ले ले, तो फिर दोषी को फांसी नहीं दी जाती। वही सरकार की ओर से एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इस मामले में उसकी अपनी सीमाएं हैं। अब निमिषा की एकमात्र उम्मीद तलाल का परिवार है, जो यदि ब्लड मनी की रकम स्वीकार कर लेता है तो निमिषा की जान बच सकती है। निमिषा को बचाने के लिए भारत सरकार, सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल और उनके परिवार द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए। यमन के कानून के तहत 'ब्लड मनी' यानी दिय्याह के रूप में पीड़ित परिवार को 1 मिलियन डॉलर (लगभग 8.5 करोड़ रुपए) ब्लड मनी के रूप में देने की पेशकश की गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक भारत सरकार 16 जुलाई को होने वाली फांसी को रोकने के प्रयासों में लगी हुई थी।

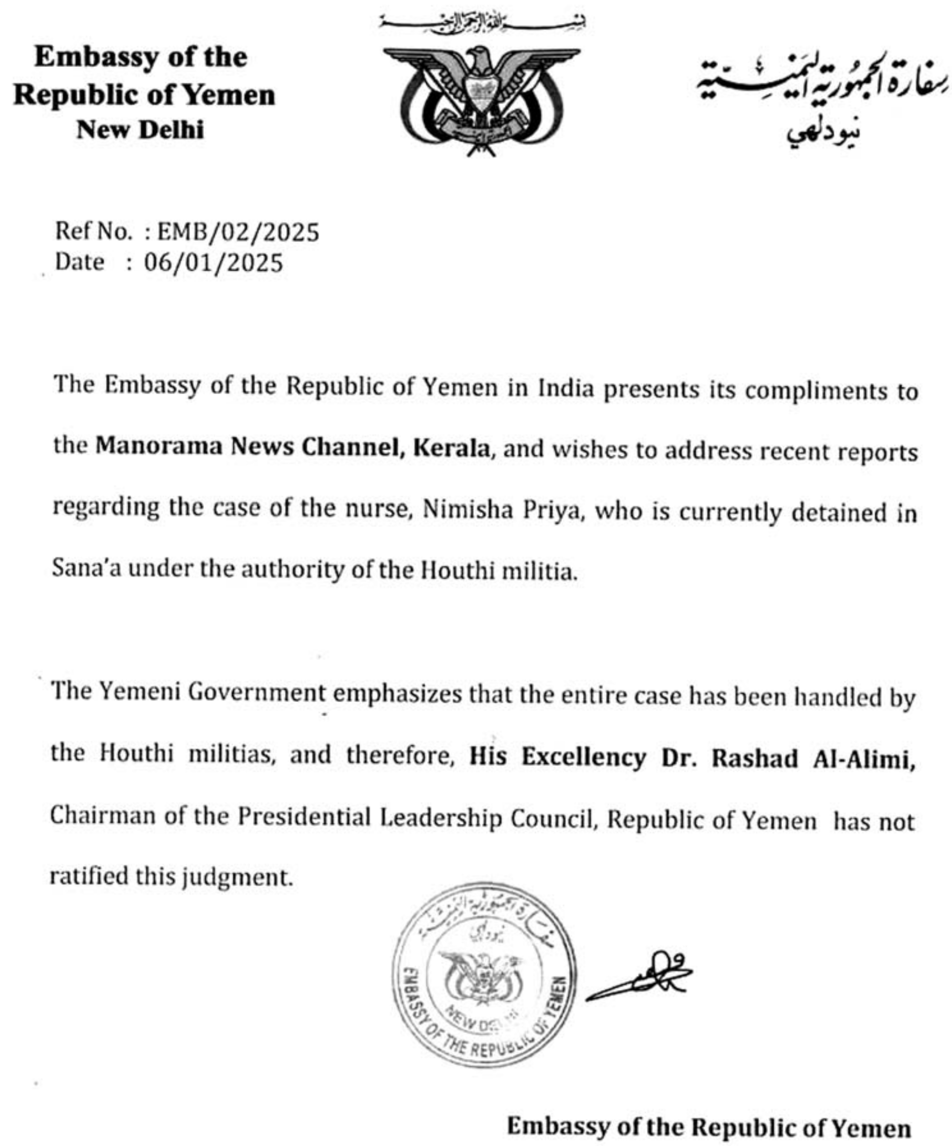

Embassy of the Republic of Yemen
New Delhi

سفارة الجمهورية اليمنية
نيودلهي

Ref No. : EMB/02/2025
Date : 06/01/2025

The Embassy of the Republic of Yemen in India presents its compliments to the **Manorama News Channel, Kerala**, and wishes to address recent reports regarding the case of the nurse, Nimisha Priya, who is currently detained in Sana'a under the authority of the Houthi militia.

The Yemeni Government emphasizes that the entire case has been handled by the Houthi militias, and therefore, **His Excellency Dr. Rashad Al-Alimi,** Chairman of the Presidential Leadership Council, Republic of Yemen has not ratified this judgment.

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF YEMEN NEW DELHI

Embassy of the Republic of Yemen

इस मामले में कुछ पेचीदगियां हैं क्योंकि भारतीय पक्ष का हूती विद्रोहियों के साथ कोई औपचारिक संपर्क नहीं है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि हम तब से मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम स्थानीय अधिकारियों और निमिषा के परिवार के सदस्यों के साथ नियमित संपर्क में हैं और हरसंभव सहायता प्रदान की है। भारतीय पक्ष ने निमिषा की रिहाई के लिए 'ब्लड मनी' चुकाने का विकल्प भी तलाशा था, लेकिन पता चला है कि इसमें भी कुछ समस्याएं आ गईं। वही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले को सुलझाने के लिए यमन के स्थानीय अधिकारियों के साथ-साथ कुछ मित्र देशों के संपर्क में है। निमिषा प्रिया को हत्या के एक मामले में मौत की सुजा सुनाई गई है। उसे 16 जुलाई को मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया है। बता दे कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है और भारत सरकार इस मामले में हरसंभव सहायता कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने कानूनी सहायता प्रदान की है और परिवार की सहायता के लिए एक वकील नियुक्त किया है। हमने नियमित रूप से दूतावास अधिकारियों की (प्रिया से) मुलाकात की भी व्यवस्था की है और हम इस मुद्दे को सुलझाने के लिए स्थानीय अधिकारियों और परिवार के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में हैं। जायसवाल ने कहा कि इसमें हाल के दिनों में प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के लिए अधिक समय देने के लिए किए गए ठोस प्रयास भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम मामले पर लगातार नजर रख रहे हैं और हरसंभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। हम कुछ मित्र देशों के सरकारों के संपर्क में भी हैं। दूसरी तरफ निमिषा प्रिया के बेहोशी के इंजेक्शन से मारे गए तलाल के भाई अब्देल फत्ताह मेहदी ने कहा कि उनका परिवार ब्लड मनी स्वीकार नहीं करेगा। इस अपराध के लिए कोई माफी नहीं हो सकती। अब्देल फत्ताह ने कहा-खून खरीद नहीं सकते, निमिषा को सजा-ए मौत हो, अल्लाह हमारे साथ है। दरअसल, निमिषा के लिए सबसे बड़ी उम्मीद तलाल का परिवार ही था। यदि वह ब्लड मनी स्वीकार कर लेता तो निमिषा आसानी से बच जाती। हालांकि निमिषा प्रिया की फांसी टलने के पीछे ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख अबूबकर अहमद मुसलियार की कोशिशों को माना जा रहा है। मुसलियार ने इस मामले में यमन के सूफी धार्मिक नेताओं और विद्वानों से संपर्क किया और उनसे मृतक महदी के परिवार से बातचीत करने का आग्रह किया था। उन्होंने यमनी विद्वानों को मानवीय पहलू को समझाने का प्रयास भी किया और फांसी को अस्थायी रूप से स्थगित करने का अनुरोध किया था, जिस पर यमनी प्रशासन ने विचार किया और फांसी पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी।

विदित हो कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यमन में हत्या के जुर्म में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की की फांसी पर रोक लगा दी गई है। सरकार उसकी सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। याचिकाकर्ता संगठन 'सेव निमिषा प्रिया- इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल' के वकील ने पीड़ित परिवार से बातचीत के लिए यमन जाने के वास्ते केंद्र से एक प्रतिनिधिमंडल बनाने का अनुरोध किया है। पीठ ने कहा कि फिलहाल फांसी पर रोक लगा दी गई है। याचिकाकर्ता सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहते हैं, जिसके लिए वे स्वतंत्र हैं। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने जब कहा कि केंद्र के प्रयास जारी हैं, तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फांसी पर रोक लगा दी गई है। वकील ने कहा कि पहला कदम यह है कि उन्होंने इसे (फांसी को) फिलहाल टाल दिया है। हमें पहले क्षमादान पाना होगा। दूसरे चरण में 'ब्लड मनी' देने की बात आती है।

पहले परिवार को हमें माफ करना होगा। उसके बाद ही 'ब्लड मनी' पर बात हो सकती है। वकील ने कहा कि यमन ऐसा देश नहीं है जहां कोई भी जा सकता है, वहां सरकार की अनुमति के बिना यात्रा पर प्रतिबंध है। इस पर पीठ ने कहा कि आप सरकार से संपर्क करें। सरकार इस पर विचार करेगी। सरकार पहले से ही आपके लिए बहुत कुछ कर रही है और अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ता संगठन के दो या तीन लोगों के प्रतिनिधिमंडल और केरल के एक धार्मिक व्यक्ति के प्रतिनिधियों (जो इस मामले से जुड़े हैं) को पीड़ित परिवार से बातचीत करने के लिए यमन की यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए। वकील ने कहा कि अगर केंद्र सरकार उचित समझे, तो सरकार का एक प्रतिनिधि भी यमन जा सकता है। इस पर वेंकटरमणी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस समय औपचारिक रूप से कुछ भी हो सकता है। जब पीठ ने प्रश्न किया कि क्या फांसी पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी गई है तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अभी तक कोई तारीख नहीं दी गई है। वेंकटरमणी ने कहा कि इसका मतलब है कि कुछ तो काम हो रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि प्रिया की मां पीड़ित परिवार से बातचीत करने यमन गई थीं और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से उन्हें यात्रा की अनुमति देने के अनुरोध के बाद वह वहां गई। उन्होंने कहा कि हम जाकर बातचीत कर सकते हैं और परिवार से माफी मांग सकते हैं ताकि कोई हल निकल सके। पीठ ने कहा कि हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि वे सरकार से जो भी अनुरोध करना चाहें, करें। सरकार इस पर विचार करेगी। हम यह नहीं बता रहे हैं कि अनुरोध क्या होना चाहिए। वेंकटरमणी ने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रिया सुरक्षित बाहर आ जाएं और हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन इस समय विस्तृत जानकारी साझा नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि यह बहुत मुश्किल स्थिति है। अदालत वह जो कह रहे हैं उन्हें मीडिया में प्रकाशित किया जा रहा है। वेंकटरमणी ने कहा कि मैं बस यही चाहता हूं कि यह महिला सुरक्षित बाहर आ जाए। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। शीर्ष अदालत यमन में फांसी की सजा का सामना कर रही प्रिया (38) को बचाने के लिए राजनयिक माध्यमों का इस्तेमाल करने के वास्ते केंद्र को निर्देश देने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। प्रिया को पहले फांसी 16 जुलाई को दी जानी थी। केरल के पलक्कड़ जिले की नर्स प्रिया को 2017 में अपने यमनी व्यापारिक साझेदार की हत्या का दोषी ठहराया गया था। उसे 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी और उसकी अंतिम अपील 2023 में खारिज कर दी गई थी। वह वर्तमान में यमन की राजधानी सना की एक जेल में बंद है।

बहरहाल, निमिषा प्रिया के जीवन-मरण का फैसला अब यमन में पीड़ित परिवार की इच्छा पर टिका है। अगर वे ब्लड मनी स्वीकार करते हैं तो भारतीय नर्स की फांसी टल सकती है। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिससे स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। बता दें कि निमिषा प्रिया के पति थॉमस दिहाड़ी मजदूर व ड्राइवर हैं और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपनी बेटी को छात्रावास भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो अब सातवीं कक्षा की छात्रा है। थॉमस ने पहले कहा था कि परिवार पर 60 लाख रुपए का कर्ज है, जो 2015 में यमन में एक क्लीनिक स्थापित करने के लिए लिया गया था, जिसे 2017 में बंद कर दिया गया था। गौरतलब है कि नर्स निमिषा प्रिया की फांसी को

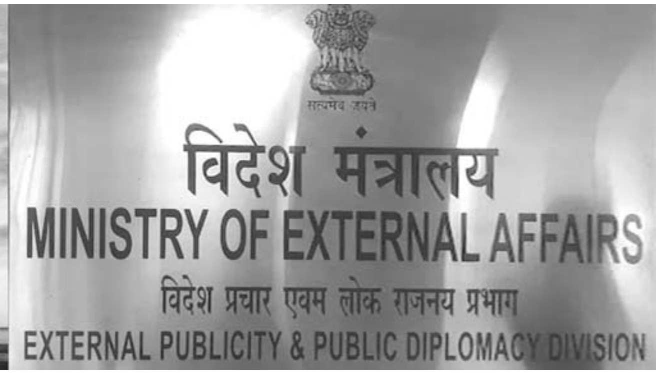

लेकर संस्पेंस गहराता जा रहा है। हालांकि 16 जुलाई को होने वाली फांसी फिलहाल टल गई है। इससे उसे कुछ राहत है। लेकिन फांसी को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इस बीच मृतक अब्दो मेहदी के भाई के बयान से एक बार फिर फांसी को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दो मेहदी के भाई ने कहा कि निमिषा ने जिस तरह का अपराध किया है उसके लिए उसे माफी नहीं मिल सकती है। निमिषा प्रिया पर 2017 में अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप लगा था। इसी मामले में यमन की सर्वोच्च अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। निमिषा पिछले 8 वर्षों से यमन की जेल में बंद है। उसे फांसी दी जानी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर फांसी अगली तारीख तक के लिए टाल दी गई है। इससे उसके परिजनों ने राहत की सांस ली है। इस बीच अब्दो मेहदी के भाई अब्देलफत्ताह मेहदी के बयान के बाद अब सस्पेंस गहरा गया है।

इस बीच केरल के राज्य माकपा सचिव एम. वी. गोविंदन ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि फांसी की सजा स्थगित कर दी गई है और कई अन्य पहलुओं पर भी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि लोग यमन में अधिकारियों और अब्दो मेहदी के परिवार से भी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि नर्स निमिषा प्रिया की उम्मीदें एक बार फिर टूटने लगी हैं। हालांकि उनकी फांसी तो टल गई है, लेकिन कब तक यह यमन की सरकार ही जानती है। दरअसल, तलाल अब्दो मेहदी के परिजनों ने ब्लड मनी लेने से इंकार कर दिया है। बता दें कि यमन में फांसी का तरीका दुनिया के सबसे क्रूर और भयावह तरीकों में गिना जाता है। दोषी व्यकित को मुंह के बल जमीन पर लिटा दिया जाता है। एक मेडिकल स्टाफ व्यक्ति के दिल और पीठ पर निशान लगाता है। इसके बाद एसॉल्ट राइफल से गोलियों की बौछार कर दी जाती है। कई बार यह सजा सार्वजनिक रूप से दी जाती है।

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

Navi Mumbai Horror :
Man Forces Wife and Mother-in-Law to Strip for Black Magic for Brother-in-Law's Marriage, Leaks Photos

In a shocking and deeply disturbing incident from Navi Mumbai, a man allegedly forced his wife and mother-in-law to strip under the guise of black magic rituals, claiming it was to remove obstacles in her brother's marriage. The accused, Ramesh, is originally from Deoria, Uttar Pradesh, and lives with wife and his mother-in-law in a rented house in Navi Mumbai.

Black Magic Pretext Turns into Abuse

According to police, the incident took place between April and July 2025 at the accused's residence. On April 15, he manipulated the women into believing that a ritual involving nudity was essential to overcome problems in his brother-in-law's marriage.

Took Obscene Photos and Leaked Them

While forcing the women to undress and perform the so-called ritual, the accused secretly clicked their obscene photos. He later used these pictures to blackmail his wife, threatening to leak them if she disobeyed him. The situation took an even darker turn when he called his wife to Ajmer, and once she arrived, he sent the obscene photos to her father and brother via WhatsApp. This led the woman's family to file a formal police complaint.

Case Registered Under Multiple Acts

Police booked the accused under sections 351(2) (criminal intimidation), 352 (intentional insult with intent to provoke breach of peace) of the Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) and relevant sections of the Information Technology Act, and the Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act, 2013. Currently, the accused is on the run, and police teams are actively searching for him.

बिहार में... वोटबंदी का बवाल!

चुनाव आयोग का SIR क्या है और क्यों गरमाई है सियासत?

● अमित कुमार

भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव हैं और इनकी जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग पर है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, विशेष गहन पुनरीक्षण नामक एक प्रक्रिया ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। जहां विपक्ष इसे 'वोटबंदी' और अल्पसंख्यकों-गरीबों के खिलाफ साजिश करार दे रहा है, वहीं चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची को शुद्ध करने की सामान्य प्रक्रिया बता रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस प्रक्रिया के चलते बिहार में 35 लाख मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। दरअसल, निर्वाचन आयोग ने बिहार में यह पाया है कि 5.76 लाख से अधिक मतदाता कई स्थानों पर पंजीकृत हैं और 12.55 लाख से अधिक मतदाताओं की संभवत: मृत्यु हो चुकी है। राज्य की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के जारी रहने के बीच, आधिकारिक आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के दौरान लगभग 7.90 करोड़ मतदाताओं में से 35.69 लाख से अधिक मतदाता अपने पते पर नहीं पाए गए, स्थाई रूप से दूसरे स्थानों पर चले गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रेखांकित किया कि आने वाले दिनों में इन आंकड़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। आयोग ने 14 जुलाई को कहा था कि बिहार के कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 6.60 करोड़ से अधिक या 83.66 प्रतिशत के नाम एक अगस्त को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची के मसौदे में शामिल किए जाएंगे। सूची में वे सभी मतदाता शामिल होंगे, जिनके फॉर्म समय सीमा तक प्राप्त हो गए हैं। अखबारों में विज्ञापनों और सीधे संपर्क के माध्यम से उन मतदाताओं को सूचित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जो अस्थाई रूप से राज्य से बाहर हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे समय पर अपने गणना फॉर्म (ईएफ) भर सकें और उनका नाम मसौदा सूची में भी शामिल हो जाए।

गौरतलब है कि SIR क्या है, इसे क्यों शुरू किया गया है और बिहार में इस पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है को विस्तार से समझना होगा। बता दें कि विशेष गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध किया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल योग्य भारतीय नागरिकों के नाम ही शामिल हों। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :-

☞ **फर्जी मतदाताओं को हटाना** :- मृत व्यक्तियों, डुप्लीकेट प्रविष्टियों, गलत पते पर दर्ज नामों और अवैध प्रवासियों के नाम हटाए जाते हैं।

☞ **नए मतदाताओं को जोड़ना** :- 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए और योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाता है। बिहार में यह प्रक्रिया 24 जून 2025 को शुरू हुई थी। इसके तहत, बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना पत्र भरवा रहे हैं। इस फॉर्म में मतदाताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, आधार नंबर और वोटर पहचान पत्र नंबर दर्ज करना होता है। कुछ मामलों में 1987 से पहले का राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या माता-पिता के जन्म से संबंधित दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं

की सूची की जांच की जा रही है। गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 25 जुलाई 2025 है। इसके बाद 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। मतदाता 1 सितंबर 2025 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और अंतिम सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होगी।

चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में आखिरी बार इतनी गहन समीक्षा 2003 में हुई थी। इसके बाद कई कारणों से मतदाता सूची में अशुद्धियां बढ़ने की संभावना है, जिनमें प्रमुख कारण ये हैं :-

☞ **प्रवास :-** बिहार से लोगों का अन्य राज्यों में जाना और अन्य राज्यों से लोगों का बिहार आना, जिससे मतदाता सूची में गलत पते या डुप्लिकेट नाम शामिल हो सकते हैं।

☞ **मृत्यु की गैर-रिपोर्टिंग :-** कई मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनकी जानकारी अपडेट नहीं हुई है।

☞ **नए मतदाता :-** 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नए मतदाताओं को जोड़ने की आवश्यकता है।

☞ **अवैध प्रवासियों की आशंका :-** आयोग के सूत्रों के अनुसार, बिहार में SIR के दौरान घर-घर जांच में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से आए लोगों के नाम मतदाता सूची में पाए गए हैं, जिन्हें अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसे अपना संवैधानिक कर्तव्य बताया है। आयोग के अनुसार, यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार के

आधार पर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

बहरहाल, बिहार में SIR को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। विपक्षी दल, खासकर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और AIMIM ने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करार दिया है। विपक्ष का कहना है कि SIR के तहत मांगे जा रहे दस्तावेज, जैसे 1987 से पहले का राशन कार्ड या माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र, गरीब और ग्रामीण लोगों के पास उपलब्ध नहीं हैं। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे नागरिकता साबित करने जैसा कदम बताया, जिससे अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जा सकता है। कई मतदाताओं का कहना है कि उनके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे बुनियादी दस्तावेज तो हैं, लेकिन पुराने दस्तावेजों की कमी के कारण उनके नाम कट सकते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया है कि चुनाव से ठीक पहले SIR क्यों शुरू किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया पहले शुरू होनी चाहिए थी ताकि पर्याप्त समय मिल सके। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया BJP और NDA को फायदा पहुंचाने के लिए शुरू की गई है, क्योंकि इससे विपक्ष के समर्थक वर्गों के वोट कट सकते हैं।

3 दशक बाद फिर गूंज रहे
'भूरा बाल साफ करो' के नारे

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे करीब आती जा रही है वैसे-वैसे सूबे का सियासी माहौल चुनावी नारों और स्लोगन से गर्माता जा रहा है। सामान्य तौर पर हर चुनाव में सियासी दल नए नारों के साथ चुनावी मैदान में जाती है लेकिन बिहार की राजनीति में इन दिनों तीन दशक पुराना नारा 'भूरा बाल साफ करो' की सियासी गूंज सुनाई दे रही है। देश की सियासत में जातीय राजनीति की उदयभूमि माने जाने वाले बिहार में 'भूरा बाल साफ करो' के नारे को लेकर जहां भाजपा लालू की पार्टी आरजेडी पर हमलावर है, वहीं आरजेडी जिससे कथित तौर पर यह नारा जोड़ा जाता रहा है, वह पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है।

दरअसल, बिहार में चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान के विरोध में आरजेडी की अगुवाई में विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन में पिछले दिनों गया जिले में एक कस्बे में आरजेडी के विरोध प्रदर्शन के दौरान मंच से 'भूरा बाल साफ करो' का नारा लगाया और जो अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंच पर जब यह नारा लगाया गया तो वहां पर अतरी विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक रंजीत यादव भी मौजूद थे और इसी कारण भाजपा इस नारे को एक बार फिर लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी से सीधे जोड़ रही है। बिहार की सियासत में जातीय राजनीति के पुरोधा माने जाने वाले लालू यादव जब 1990 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे तब पहली बार 'भूरा बाल साफ करो' नारा चुनावी फिंजा में गूंजा था। राष्ट्रीय जनता दल से जोड़े गए भूरा बाल साफ करो के नारे का मतलब था भ से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण, और ल से लाला यानि सवर्ण जातियों को सियासी और सामाजिक रूप से हाशिए पर धकेलना। इस नारे में

बिहार में लालू यादव MY रणनीति (पिछड़ा-अति पिछड़ा-दलित-मुस्लिम) और जातीय राजनीति को नई धार दे दी थी और लालू यादव की पार्टी 15 साल तक सत्ता में काबिज रही। बिहार की राजनीति में एक समय ऐसा रहा है जब लालू यादव की छवि ओबीसी जातियों के सर्वमान्य नेता के तौर पर थी और ओबीसी समुदाय पूरी तरह एकजुट था।

बहरहाल, भले ही 'भूरा बाल साफ करो' का नारा लालू यादव से जोड़ा जाता रहा हो लेकिन खुद लालू ने इससे इंकार किया है। लालू ने अपनी आत्मकथा में इस नारे से इनकार करते हुए इसे मीडिया की साजिश बताया था। लालू यादव की आत्मकथा 'गोपालगंज से रायसीना' किताब में उन्होंने सफाई दी है कि वे ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हैं और न ही उन्होंने 'भूरा बाल साफ करो' का नारा दिया था। लालू यादव ने उस किताब में लिखा है कि वह सिर्फ ब्राह्मणवाद और मनुवाद के खिलाफ हैं। बिहार की राजनीति में पिछड़ी यानि ओबीसी जातियों का बहुत प्रभाव है। राजनीति दलों के लिए ओबीसी और दलित वोटर्स हमेशा एक बड़ा वोट बैंक रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब आरजेडी ने राज्य में 75 सीटें जीती थी तो उसे ओबीसी वोटर्स का काफी सपोर्ट मिला था। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस का पूरा फोकस जातीय वोटरों को एकजुट करना है, इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव में जातीय जनगणना जैसा मुद्दा भी खूब गूंज रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा अब भूरा बाल साफ करो के नारे को लेकर आरजेड़ी पर हमलावर है। भाजपा ने इस पूरे मुद्दें पर लालू और तेजस्वी को घेरते हुए कहा कि आरजेडी आज भी 1990 के दशक में बिहार को दोबारा ले जाना चाहते हैं जो संभव नहीं है। भाजपा का आरोप है कि इस तरह के नारों और गलत भाषा का इस्तेमाल करके आरजेडी जनता की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे है और बिहार को फिर जंगलराज की तरफ ले जाना चाहती है। ऐसे में चुनावी समय में एक बार फिर इस नारे का उभरना लालू यादव की पार्टी के लिए एक चुनौती बन सकता है।

With Pocket Knife and Hair Clips, Army Doctor Helps Woman Deliver Baby at Jhansi Railway Station

A heartwarming incident unfolded at Virangana Laxmibai Jhansi Railway Station in Uttar Pradesh on Saturday when a pregnant woman unexpectedly went into labour on the platform. In a rare and brave display of quick action and medical skill, Major Rohit Bachwala, an Indian Army doctor, successfully conducted a childbirth using just a pocket knife and hair clips.

Army Doctor Saves the Day

Major Rohit, 31, who serves at the Military Hospital in Jhansi, was waiting for a train to Hyderabad when he noticed the woman crying out in severe pain. Her husband had already raised an SOS via the Rail Madad App, and the family was deboarded from the Panvel-Gorakhpur Express (15066). Without hesitation, Major Rohit rushed in to assist.

"A woman TTE was taking the pregnant lady on a wheelchair. As she screamed in pain near the footover bridge, I rushed towards her. With limited tools and knowledge from my Army training, I helped deliver the baby," he told TOI.

Makeshift Tools, Successful Delivery

With no time to spare and barely any medical tools, Major Rohit used a pocket knife, hair clips, a dhoti for privacy, and gloves provided by the railway staff. His swift response ensured a safe and hygienic delivery.

After the successful birth, the mother and newborn were quickly shifted to a nearby hospital via ambulance. Both were reported stable and healthy.

Indian Army and Railways Applaud the Hero

The Indian Army proudly acknowledged Major Rohit's courageous act, stating : "Today, an Army doctor, Major Rohit, of Military Hospital, Jhansi, successfully conducted childbirth at the railway station in Jhansi. The doctor present at the station responded swiftly when a pregnant woman went into unexpected labour on the platform. Without any delay and using minimal resources, the Army doctor ensured safe delivery, providing vital medical assistance in a challenging environment. Both the mother and newborn were reported to be in stable condition due to his timely intervention."

The Jhansi Division of North Central Railway also issued a statement confirming the prompt response from their control room and staff:

"Railways was informed about the pregnant woman passenger, who had sought medical assistance through the Rail Madad app. Promptly, the Jhansi control room was activated and a team was quickly prepared for medical assistance. As soon as the train reached Veerangana Laxmibai Jhansi station, the female passenger was attended to by a railway medical team and railway ticket checking staff."

योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की खींचतान में फंस गया उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का चुनाव?

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। एक ओर दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरु हो गया तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश जहां भाजपा पिछले 8 साल से सत्ता में काबिज है वहां पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के लिए एक चुनौती बन गया है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है ऐसे में भाजपा के नए अध्यक्ष के चुनाव में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधना भी जरूरी हो गया है। राज्य में जिस तरह से संगठन और सरकार में मतभेद की खबरें सामने आती रही है उससे नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव एक टेढ़ी खरी है। सवाल यह भी है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की आपसी खींचतान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव उलझा हुआ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव केवल डेढ़ साल दूर है ऐसे में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। मोदी के चेहरे पर हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी को उत्तर प्रदेश में 23 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा ऐसे में तय है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना चलेगा यह भी सवालों के घेरे में है। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा के अंदर जिस तरह से सरकार और संगठन के बीच मतभेद सामने आए थे उससे नए अध्यक्ष का चुनाव एक और चौलेंज बन गया है। लोकसभा चुनाव के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी में भाजपा की संगठन की कमान संभाल चुके है और 2017 में

अखिलेश यादव को सत्ता से बाहर कर राज्य में भाजपा सरकार बनाने में अपनी संगठनात्मक क्षमता का लोहा मनवाया था, वह अब क्या एक बार फिर भाजपा की कमान संभालेंगे यह भी बड़ा सवाल है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति को कई दशकों से करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में जिस तरह से दूरी दिखाई दे रही है वह भाजपा के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार संगठन को लगातार एग्नोर कर रहे है और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी एक दूरी बनाकर रखे है उससे आज प्रदेश में संगठन की कोई पूछ परख नहीं है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन में नए सिरे से ऊर्जा भरना और कार्यकर्ताओं को जमीन पर एक्टिव करना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में जातीय समीकरण साधना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में ओबीसी वर्ग को साधने के लिए भाजपा ओबीसी वर्ग से आने वाले किसी नेता को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। राजनीतिक विश्लेषक रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है उससे साफ है कि भाजपा के लिए 2027 विधानसभा चुनाव की राह बहुत आसान नहीं है। राज्य में भाजपा की अंदर पिछड़े वर्ग से आने वाले किसी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग हो रही है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे है। पिछले दिनों केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। रामदत्त त्रिपाठी आगे कहते हैं कि जिस तरह अखिलेश यादव पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक (PDA) की राजनीति कर रहे है वह भाजपा के लिए एक चुनौती है। ऐसे में भाजपा ओबीसी वर्ग से आने वाले किसी बड़े नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, जिससे अखिलश यादव के पीडीए कार्ड की काट खोजी जा सके और ओबीसी वोटर्स को पार्टी से जोड़ा जा सके। वह कहते हैं कि यह नहीं भूलना होगा कि 2017 में जब भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी तो भाजपा संगठन की कमान केशव प्रसाद मौर्य के हाथों में थी और उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार थे लेकिन पार्टी आलकामन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी।

☞ **उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष के दावेदार**- उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ योगी कैबिनेट में ओबीसी वर्ग से आने वाले जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी शामिल है। स्वतंत्र देव सिंह पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके है और उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता है। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग से आने केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और राज्य सरकार में मंत्री बीएल वर्मा का नाम भी शामिल है। वाले इससे साथ प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में ब्राह्माण चेहरे के रुप में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी है।

मुख्तार गैंग का शार्प शूटर एनकाउंटर में ढेर

मुख्तार गैंग के शार्प शूटर शाहरुख को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। शाहरुख बिजनौर का रहने वाला था। उसके ऊपर हत्या, लूट समेत दर्जनों केस दर्ज हैं। बता दें कि यूपी STF ने यह एनकाउंटर किया है। एनकांउटर में मारा गया शाहरुख पठान मुख्तार गैंग से जुड़ा था। मुख्तार अंसारी के दो बड़े सहयोगी थे। पूर्वांचल का काम मुन्ना बजरंगी देखता था, जबकि पश्चिमी यूपी का काम संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का था। मुख्तार की जेल में मौत हो गई, जबकि जीवा लखनऊ कोर्ट में मारा गया और बजरंगी बागपत जेल में मारा गया। जीवा का ही करीबी शाहरुख पठान आज मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। मुख्तार-जीवा गैंग का शार्प शूटर शाहरुख बिजनौर का रहने वाला था। मुठभेड़ सोमवार सुबह छपार थाना क्षेत्र के रोहाना मार्ग पर हुई। घटनास्थल से एक कार, पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। पठान पर हत्या, लूट पाट और मारपीट के 12 केस दर्ज हैं। एसटीएफ को खबर मिली कि शाहरुख पठान छपाक इलाके में है। किसी वारदात को अंजाम दे सकता है। इसके बाद एसटीएफ की टीम ने

घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू की। शाहरुख ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में शाहरुख मारा गया।

☞ **अपराध की लंबी फेहरिस्त है शाहरुख की :-** शाहरुख पठान ने साल 2015 में मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में आसिफ जायदा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। गिरफ्तार होने के बाद जेल में रहने के दौरान संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी के संपर्क में आ गया और संजीव जीवा के लिए काम करने लगा। कुछ दिन जेल में रहने के बाद यह सिविल लाइन मुजफ्फरनगर से साल 2016 मैं फरार हो गया। फरारी के दौरान जीवा के कहने पर इसने हरिद्वार में वहां के कंबल व्यापारी गोल्डी की हत्या 2017 में कर दी थी। इसी फरारी के दौरान आसिफ जायदा मर्डर केस के गवाह आसिफ जायदा के पिता की हत्या साल 2017 में मुजफ्फरनगर में कर दी थी। इस हत्या के बाद इसपर 50 हजार का इनाम घोषित किया गया था। इसके बाद शाहरुख फिर गिरफ्तार हुआ। गोल्डी मर्डर केस में संजीव जीवा के साथ उम्र कैद की सजा हो गई थी। अभी जमानत पर चल रहा था। करीब छह महीने पहले जमानत पर आने के बाद इसने हत्या के मुकदमों के गवाही देने वालो को धमकाना शुरू किया। फिर संभल उस पर हत्या के प्रयास और धमकी देने का मुकदमा किया गया था, जिसमें यह वांछित चल रहा था, जिसकी तलाश की जा रही थी। आज एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ ने छपार इलाके में उसे घेर लिया। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उसकी मौत हो गई हैं।

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

UP govt promotes cow urine-based remedies for 19 diseases, including diabetes & heart ailments

In a pioneering step to promote Ayurveda and traditional medicine, the Uttar Pradesh government is launching an initiative to develop Ayurvedic products using Panchgavya. These products, including toothpaste, ointments, and other medicinal formulations, will be officially integrated into the Ayurvedic medicine system and produced on a large scale.

The move aims to generate rural employment, enhance utility of cow shelters (gaushalas), and revive the traditional knowledge system with a scientific approach. According to experts, cow urine contains medicinal properties that help boost the immune system. Under this initiative, cow urine-based formulations will be utilised in the treatment of 19 diseases, including diabetes, heart disease, arthritis, skin conditions, asthma, sinusitis, and anaemia. Dr. Anurag Srivastava, OSD of the Uttar Pradesh Gauseva Commission, stated here on Monday that with the support of the AYUSH Department, concrete efforts are being made to produce scientifically Panchgavya-based medicines. These will be developed using modern research methodologies to ensure efficacy and broader acceptance in the healthcare system.The initiative is expected to create fresh employment opportunities for cowherds, farmers, and rural youth, while also providing a significant boost to the rural economy. As demand for Panchgavya products grows, so will the relevance of cow shelters, making this initiative both an economic and cultural milestone in promoting holistic health.

IMF notes UPI making India a leader in the fastest payments globally

A latest note titled 'Growing Retail Digital Payments: The Value of Interoperability' presented by International Monetary Fund (IMF) highlighted India as a global leader in making fastest payments which is due to the adoption of UPIs or Unified Payment Interface by a wide number of masses. This report is authored by Alexandar Copestake, Divya Kirti, and Maria Soledad Martinez Peria.

The global economic watchdog also stressed the transition from cash to card-based transactions to UPI or Unified Payments Interface since its launch in 2016. Unified Payments Interface is a real-time payment system developed by NPCI (National Payments Corporation of India) that enables smooth money transfers. The IMF also observed that the UPI adoption is increasing in rural areas with the reduction in ATM (Automated Teller Machine) money withdrawals. Authors at the IMF have also urged Indian policymakers to monitor the markets of digital payments in India and give opportunities to new key emergent players. This report also pointed to the favourable digital payments interface in India despite a slight dip of 1.5% in June compared to May 2025. Soaring digital transaction volume is highlighting the significant expansion of India's digital payment infrastructure. IMF researchers used granular data to cover the realm of transactions on India's Unified Payments Interface.

वार और पलटवार का खेल

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के पटक-पटककर मारने वाले बयान पर चुनौती भरे अंदाज में कहा कि एक सांसद है वह कहता है कि वह हमें पटक पटक कर मारेगा, तू हमको मारेगा दुबे, तू मुंबई आजा, मुंबई के समंदर में डुबा डुबाकर मारेंगे। राज ठाकरे ने मुंबई के मीरारोड एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं महाराष्ट्र, मराठी मानुष और मराठी भाषा की कीमत पर किसी से समझौता नहीं करूंगा। ठाकरे ने सवाल किया कि क्या हुआ दुबे का? क्या कोई केस हुआ? 56 इंच की छाती लेकर तुम भी घूमो, तुम महाराष्ट्र के मालिक हो। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को निशाने पर लेते हुए मनसे नेता ने कहा कि तू हमको मारेगा दुबे, तू मुंबई आजा, समंदर में डुबा डुबाकर मारेंगे। वही राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी दी कि अगर राज्य में कक्षा एक से पांच तक हिंदी भाषा अनिवार्य की गई तो हम स्कूल बंद कराने से नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से सतर्क रहने और हिंदी थोपने की सरकार की किसी भी योजना को विफल करने का आह्वान किया। इससे पहले (मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक स्थानीय दुकानदार के साथ मारपीट की थी, क्योंकि उसने कथित तौर पर मराठी में बात करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, फडणवीस ने जोर देकर कहा कि सरकार त्रिभाषा नीति जरूर लागू करेगी, लेकिन हिंदी कक्षा एक से पढ़ाई जाए या कक्षा पांच से, इसका फैसला इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए गठित समिति करेगी। राज ठाकरे ने अपने भाषण में फडणवीस को हिंदी थोपने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने एक बार कोशिश की थी, तब हमने दुकानें बंद कर दी थीं और अब अगर हिंदी थोपी गई (कक्षा एक से पांच तक) तो हम स्कूल बंद कराने से नहीं हिचकिचाएंगे। मनसे प्रमुख ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हिंदी को अनिवार्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठाकरे ने आरोप लगाया कि हिंदी थोपकर सरकार लोगों की प्रतिक्रिया का परीक्षण कर रही है क्योंकि वह अंततः मुंबई को गुजरात से जोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि हिंदी केवल '200 साल पुरानी' है, जबकि मराठी का इतिहास 2500-3000 साल पुराना है। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि जब गुजरात में बिहार के प्रवासियों को पीटा गया और भगा दिया गया, तो यह कोई मुद्दा नहीं बना, लेकिन महाराष्ट्र में एक छोटी-सी घटना राष्ट्रीय मुद्दा बन जाती है। उन्होंने आजादी के बाद मोरारजी देसाई और वल्लभभाई पटेल के कथित मराठी विरोधी रुख का भी जिक्र किया। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्रवासियों को राज्य में हर जगह मराठी में बोलने पर जोर देना चाहिए और दूसरों को भी यह भाषा बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की आड़ में हिंदी थोपने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था

कि हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले अगर हिम्मत है तो उर्दू भाषियों को मार कर दिखाओ। महाराष्ट्र से बाहर आने की हिम्मत दिखाएं, हम हिंदी का विरोध करने वालों को पटक-पटक कर मारेंगे।

गौरतलब है कि भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें हिंदी सिखा दी है। दरअसल, ठाकरे ने दुबे पर पलटवार करते हुए एक कार्यक्रम में हिंदी में कहा, 'आप मुंबई आइए। मुंबई के समंदर में डुबो-डुबोकर मारेंगे।' इससे पहले महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर दुबे ने ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था, 'तुमको पटक पटक के मारेंगे।' ठाकरे के ताजा बयान के बाद दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी? 'मराठी मानुष' के मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए जाने जाने वाले ठाकरे ने स्कूलों में कक्षा एक से तीसरी भाषा शुरू करने के भाजपा नीत सरकार के फैसले के विरोध में अपने चचेरे भाई और शिवसेना (उबाठा) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ फिर से हाथ मिला लिया है। हालांकि, इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया था। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर राज्य में कक्षा एक से पांच तक हिंदी भाषा अनिवार्य की गई तो 'हम स्कूल बंद कराने से नहीं हिचकिचाएंगे।'

अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की वापसी गगनयान की दिशा में मील का पत्थर : पीएम

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और वाणिज्यिक 'एक्सिओम-4 मिशन' के उनके 3 अन्य साथी पृथ्वी पर लौट आए। ड्रैगन 'ग्रेस' अंतरिक्ष यान दक्षिणी कैलिफोर्निया में सैन डिएगो के नजदीक समुद्र में उतरा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर 20 दिन के प्रवास के बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी पर लौटने से पहले 22.5 घंटे की यात्रा की। चारों यात्री अंतरिक्ष यान के कैप्सूल से बाहर आ गए हैं। शुक्ला, कमांडर पैगी व्हिटसन तथा मिशन विशेषज्ञ पोलैंड के स्लावोज उज्नान्स्की-विस्नीवस्की और हंगरी के टिबोर कापू को लेकर अंतरिक्ष यान भारतीय समयानुसार शाम 4:45 बजे अंतरिक्ष स्टेशन से अलग हो गया था। स्पेसएक्स ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि ड्रैगन के उतरने की पुष्टि हो गई है-पृथ्वी पर आपका स्वागत है, /एस्ट्रोपेगी, शुक्स/एस्ट्रो; स्लावोज और टिबी। मिशन परिवाहक 'स्पेसएक्स' की तीव्र गति वाली नौकाओं को अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ते देखा गया ताकि उसे 'रिकवरी शिप शैनन' तक लाया जा सके, जहां अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल से बाहर लाया जाएगा। एक्सिओम-4 के चालक दल को जहाज पर ही कई चिकित्सीय जांचों से गुजरना होगा। उसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए वापस तट पर भेजा जाएगा। चारों अंतरिक्ष यात्रियों के फिर से धरती के वातावरण में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के प्रति अनुकूलन के लिए सात दिन पुनर्वास कार्यक्रम में रहने की उम्मीद है क्योंकि पृथ्वी की कक्षा में वे भारहीनता की स्थिति में थे।

गौरतलब है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के परिवार ने उनके और ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार एक्सिओम-4 चालक दल द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों के प्रवास के बाद पृथ्वी पर लौटने पर जश्न मनाया। इस अवसर पर उनकी मां और पिता दोनों भावुक नजर आए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। शुभांशु की मां ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मेरा बेटा बड़ा मिशन करके आया है। शुभांशु के पिता ने इसे गर्व भरा पल बताया। शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हम

मनोवैज्ञानिक मूल्यांकनों से गुजरना होगा।

बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि शुभांशु शुक्ला ने अपने समर्पण, साहस और अन्वेषण भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। मोदी ने 'एक्स' पर कहा कि मैं राष्ट्र के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट आए हैं। उन्होंने शुक्ला की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। वही बता दें कि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला वाणिज्यिक 'एक्सिओम-4 मिशन' को पूरा करने के बाद पृथ्वी पर लौट आए और इस खुशी में उनके गृह नगर लखनऊ में हर जगह जश्न का माहौल है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और वाणिज्यिक 'एक्सिओम-4 मिशन' के उनके 3 अन्य साथी पृथ्वी पर लौट आए। ईश्वर से उसकी सुरक्षित लैंडिंग के लिए प्रार्थना करते रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि वह अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा करके वापस लौटा है। उन्होंने परिवार की गहरी सम्मान और संतुष्टि की भावना व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारे और देश के लिए बेहद गर्व का क्षण है कि उसने इतना महत्वपूर्ण मिशन पूरा किया है। अब हम अपने परिवार, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों के साथ यहां उत्सव मनाएंगे। राकेश शर्मा के 1984 के मिशन के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में शुक्ला ने इतिहास रच दिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती उपस्थिति में एक और उपलब्धि जुड़ गई। उल्लेखनीय है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार एक्सिओम-4 चालक दल, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों के प्रवास के बाद प्रशांत महासागर में उतरे। एक्सिओम-4 मिशन वैसे तो 14 दिन का था लेकिन 18 दिन चला। शुभांशु अंतरिक्ष में 433 घंटे रहे। उन्होंने 288 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। इस दौरान वहां 60 प्रयोग किए गए। इनमें से 7 इसरो के थे। शुभांशु अंतरिक्ष स्टेशन से 263 किलो वैज्ञानिक सामान और डाटा ला रहे हैं। शुभांशु के मिशन पर 550 करोड़ रुपए खर्च हुए। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2027 में लांच होना है। इसलिए भी यह मिशन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जीरो ग्रेविटी से लौटने के बाद शुभांशु समेत सभी 4 अंतरिक्ष यात्री 7 दिन आइसोलेशन में रहेंगे। भारत लौटने से पहले उन्हें कई चिकित्सकीय, शारीरिक और

ड्रैगन 'ग्रेस' अंतरिक्ष यान दक्षिणी कैलिफोर्निया में सैन डिएगो के नजदीक समुद्र में उतरा। शुभांशु के गृहनगर लखनऊ में इस उपलब्धि पर देशभक्ति के नारे गूंज उठे और लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। उनके पूर्व विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (सीएमएस) के कानपुर रोड परिसर में भी लोगों ने जश्न मनाया। शुभांशु के परिवार के सदस्यों के साथ-साथ छात्रों, शिक्षकों और गणमान्य व्यक्तियों ने भारतीय झंडे लहराकर कैप्सूल के प्रशांत महासागर में उतरने का स्वागत किया। शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला और उनकी मां आशा की आंखों में खुशी के आंसू देखे गए, जबकि उनकी बहन सुचि मिश्रा ने नम आंखों और हाथ जोड़कर अपने भाई के उतरने का स्वागत किया। शंभू शुक्ला ने कहा कि वह अंतरिक्ष में गया और वापस आया है और हम बहुत खुश हैं क्योंकि इस मिशन का देश के गगनयान कार्यक्रम के लिए अपना महत्व है। शुभांशु की मां आशा देवी अपने बेटे की असाधारण उपलब्धि पर भावुक हो गईं। सुचि ने कहा कि पिछले 18 दिन हमने अपने भाई की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में इतनी बातें की कि अब जब लैंडिंग हुई तो हमारे पास शब्द नहीं हैं। यह जानकर बहुत सुकून मिलता है कि मेरे भाई ने देश के लिए जो कुछ भी हासिल करने का लक्ष्य रखा था, वह हासिल हो गया है। शुभांशु के परिवार तथा सीएमएस प्रबंधन ने केक काटकर खुशियां बांटीं और जैसे ही अंतरिक्ष यान समुद्र में उतरा तो स्वागत में जयकारे लगे और वहां मौजूद खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सीएमएस प्रबंधक प्रो. गीता गांधी किंगडन ने कहा कि शुभांशु की सफलता ने हमारे छात्रों की कल्पनाशीलता को प्रज्वलित किया है। वह सीएमएस के आदर्श वाक्य 'जय जगत' का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और दर्शाते हैं कि अंतरिक्ष कोई कल्पना नहीं है, यह हमारा भविष्य है।

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेलः- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

India may become world's fastest growing economies next year : NSA Ajit Doval

National Security Advisor Ajit Doval on Friday said India may become the world's fastest growing economies next year. Speaking at the IIT Madras' 62nd Convocation here, he said India is progressing rapidly. "Next year, we may become one of the world's fastest-growing economies", he said. Institutions are now developing ecosystems, infrastructure, testing equipment, laboratories, and support systems and where they don't exist, we'll create them. "Your alumni network is a global asset. But don't just aim for personal comfort abroad—true success lies in what you contribute, not where you live", Mr Doval said.

Mr Doval said, "It is crucial that we develop our own indigenous technologies. As you step out into the world, remember this -- carry your skills not just to earn, but to serve. Innovate not just for accolades, but for impact. And build a future that uplifts not only you, but the civilization you come from". He said "this country has a great future—and that future is you. Dedicate yourself with purpose, do your best, and give your best."

Congratulating the graduating students and prize winners, the NSA said, "It's an honor to be at IIT Madras, a pioneering institution of national value. You are the most fortunate generation in the last 1000 years of India's history." "You have proven your intelligence, dexterity, and commitment—qualities that very few can successfully channel into tangible success. You have a great future ahead but the real question is this :

will you be able to intertwine your personal growth and progress with something greater than yourself? Will you be able to contribute meaningfully to society, to your country, to the civilization to which you owe so much?", he said. As many as 3,661 Degrees (including Joint and Dual Degrees) were awarded to the students on the occasion. A total of 529 PhDs were also awarded, which included PhDs, Joint Degree PhDs with foreign institutions and Dual Degree PhDs.

During this Convocation, Prof. V. Kamakoti, Director, IIT Madras, awarded degrees to 3,227 graduates including 820 B.Tech, 312 Dual Degree B.Tech and 711 M.Tech, 173 M.Sc (including joint M.Sc), 85 M.A, 181 Executive MBA, 93 MBA, 73 PG Diploma, and 250 M.S. The 529 PhD degrees also includes 10 joint degrees with universities in foreign countries including Australia, Singapore, France and Germany.

Dr. Pawan Goenka, Chairman, Board of Governors, IIT Madras, said, "Prime Minister Narendra Modi has outlined a bold vision of "Viksit Bharat"—a fully developed India—by the time we celebrate 100 years of independence."

"A nation where opportunity is equitable, innovation is native, and growth is sustainable. But let's be clear—Viksit Bharat is not just going to happen by itself. It will require tremendous effort from all Indians. It is not the Prime Minister's dream alone—it is a generational responsibility. And it belongs to you, the class of 2025. You will be at the peak of your careers in 2047. It is you who will build the infrastructure, design the technologies, write the policies, and lead the institutions that shape the India of the future", he added.

Dr. Pawan Goenka said, "You are not just graduating today. You are the architects, builders, visionaries, and dreamers—and this nation is the canvas awaiting your imagination. Whether you choose to become a researcher, entrepreneur, corporate leader, public servant, or academic, ask yourself - how can I help more? How can I help move India—not just in GDP—but in dignity, access, equity, and excellence?"

Presenting the Director's Report, Prof. Kamakoti said IIT Madras has jumped 47 positions to be ranked at 180th position in the QS World University Rankings 2026 from being ranked 227th last year, becoming the 3rd in the country to be ranked below 200. IIT Madras has proved herself by sustaining the top ranks in the NIRF Ranking – She has retained the #1 position for the sixth year in a row for overall performance among all universities in India, #1 position among Engineering Institutes for the ninth year since inception of NIRF, and ranked #2 in the Research Institutions and Innovation categories."

Mr Ajit Doval also inaugurated a Center for Indian Knowledge Systems (IKS) Corridor at IIT Madras after the Convocation. The Centre will serve as an interdisciplinary research hub, bringing together faculty from diverse departments, including Humanities and Social Sciences, Civil Engineering, Metallurgical and Materials Engineering, and Computer Science. Its research will span a broad spectrum of thematic areas—Indian mathematics and astronomy, aesthetics, linguistics, Sanskrit, yoga, Indian philosophy, artificial intelligence, sustainable architecture, traditional metallurgy, Indian music, and dramaturgy.

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि
(अधिवक्ता)
Ph.- 9308454485
7004408851
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

✯ अगर चेक बाउंस के केस का अभियुक्त केस लड़ने के दौरान मर जाता है तो चेक बाउंस के रकम की भुगतान की जिम्मेदारी क्या उनके परिवार के उत्तराधिकारियों की होगी?

चेक बाउंस के मामले में, यदि अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है, तो चेक बाउंस की रकम की जिम्मेदारी उसके परिवार वालों पर नहीं होती है। भारतीय कानून के अनुसार, चेक बाउंस का मामला मुख्यत: उस व्यक्ति के खिलाफ होता है जिसने चेक जारी किया है। यदि चेक जारी करने वाला व्यक्ति मर जाता है, तो उसके विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामले को बंद कर दिया जाता है। चेक बाउंस के मामले में दी गई रकम की वसूली करने के लिए, चेक जारी करने वाले की संपत्ति से वसूली की जा सकती है, लेकिन परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होती है। हालांकि, यह भी आवश्यक है कि चेक जारी करने वाले की संपत्ति या संपत्ति के उत्तराधिकारी इस मामले में किसी प्रकार की जिम्मेदारी ले सकते हैं, यदि उस संपत्ति को चेक की राशि की वसूली के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए, चेक बाउंस के मामले में परिवार के सदस्य सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं होते हैं।

✯ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत आवेदन देने के बाद क्या जज उसी दिन गवाह की गवाही ले सकते हैं?

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 311 का प्रावधान न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह अपने विवेक पर किसी भी समय, किसी भी गवाह को बुला सकता है या किसी भी गवाही को प्राप्त कर सकता है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में सही तथ्य सामने आ सकें। यदि आप धारा 311 के तहत आवेदन दायर करते हैं, तो जज इसे सुनने के बाद यह तय कर सकते हैं कि क्या गवाही ली जानी चाहिए या नहीं। यदि जज इसे उचित समझते हैं और इसे सुनने के लिए तत्पर होते हैं, तो वे उसी दिन गवाही भी ले सकते हैं। यह पूरी तरह से जज की विवेकाधीनता पर निर्भर करता है कि वे गवाही लेने का निर्णय कब लेते हैं। इसलिए, यदि आप आवेदन के साथ गवाही के लिए अनुरोध कर रहे हैं, तो जज उसके अनुसार निर्णय ले सकते हैं।

✯ पुलिस की क्या-क्या कानूनी कमजोरियाँ होती हैं एवं पुलिस के द्वारा की गई गलतियाँ एवं अत्याचार के लिए क्या- क्या कानूनी प्रावधान है?

पुलिस की कानूनी कमजोरियाँ विभिन्न कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें नीतियाँ, विधियाँ, और संगठनात्मक संरचना शामिल हैं। यहाँ कुछ सामान्य कानूनी कमजोरियाँ दी गई हैं :-

1. 'अविवेकपूर्ण गिरफ्तारी': कई बार पुलिस बिना पर्याप्त सबूत के लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जो कानून के खिलाफ होता है।
2. 'बेजा बल का उपयोग': पुलिस द्वारा अत्यधिक बल का इस्तेमाल करना, विशेषकर जब यह अनावश्यक हो, यह कानूनी समस्या बन सकता है।
3. 'गोपनीयता का उल्लंघन': पुलिस अक्सर नागरिकों की गोपनीयता का उल्लंघन करती है, जैसे बिना वारंट के तलाशी लेना।
4. 'भेदभावपूर्ण व्यवहार': जाति, धर्म, या रंग के आधार पर भेदभाव करना कानूनी दृष्टि से गलत है और इससे नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।
5. 'प्रशिक्षण की कमी': पुलिसकर्मियों को उचित प्रशिक्षण न मिलने के कारण वे कानून के प्रति संवेदनशील नहीं होते और गलत निर्णय लेते हैं।
6. 'जवाबदेही की कमी': कई बार पुलिसकर्मी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होते, जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है।
7. 'न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन': पुलिस द्वारा आरोपी को उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन न करना, जैसे वकील तक पहुँचने का अधिकार न देना, यह भी एक कमजोरी है।
8. 'साक्ष्य की सही तरीके से संग्रहण': साक्ष्य को सही तरीके से संग्रहित न करना और उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करना, जो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

इन कमजोरियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता होती है, ताकि पुलिसिंग प्रणाली अधिक प्रभावी और न्यायपूर्ण हो सके। पुलिस द्वारा की गई गलतियों या अत्याचारों के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान हैं। इनमें से कुछ मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं :-

1. 'संविधान के तहत अधिकार': भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। यदि पुलिस इस अधिकार का उल्लंघन करती है, तो व्यक्ति न्यायालय में चुनौती दे सकता है।
2. IPC (भारतीय दंड संहिता) :- पुलिसकर्मियों के लिए भी IPC के तहत विभिन्न धाराएँ लागू होती हैं। जैसे कि :-

धारा 166 :- किसी सरकारी अधिकारी द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में अवहेलना।

धारा 342 :- किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में रखना।

3. CRPC (दंड प्रक्रिया संहिता):- यदि पुलिसकर्मी ने अपने अधिकारियों का दुरुपयोग किया है, तो पीड़ित व्यक्ति ब्च्छ की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है।
4. अधिकारों का उल्लंघन:- यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो वह मानवाधिकार आयोग या संबंधित प्राधिकरण में शिकायत कर सकता है।
5. आंतरिक शिकायत तंत्र :- कई राज्यों में पुलिस विभाग के भीतर आंतरिक शिकायत तंत्र होते हैं, जहाँ पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
6. न्यायालय में याचिका :- यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि पुलिस ने उसके साथ अन्याय किया है, तो वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दायर कर सकता है।

इन प्रावधानों का उपयोग करके व्यक्ति पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

आवश्यकता

अगर आप में है आत्मविश्वास और तीव्र इच्छा, तो मौका है इसे पूरा करने का....

बिहार की सबसे लोकप्रिय पत्रिका

केवल सच

और

केवल सच TIMES

को बिहार के हर जिले, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि (डोर टू डोर मार्केटिंग) एवं प्रसार के कार्य के लिए परिश्रमी एवं जुझारू युवक/युवतियों की आवश्यकता है।

योग्यता:-

जिला ब्यूरो	प्रखंड संवाददाता	पंचायत संवाददाता	विज्ञापन प्रतिनिधी
स्नातक उतीर्ण	स्नातक/इंटर	स्नातक/इंटर/मैट्रिक	स्नातक/इंटर/मैट्रिक

संपर्क करें:-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, कंकड़बाग

पटना-20, मो.- 9431073769, 9955077308

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008